सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-33 अंक-11 | 7 से 21 जून, 2018 | मुख्य संपादक कॉमरेड प्रभास घोष | कुल पृष्ठ 8 | मूल्य : 2 रुपये

तुतुकुड़ी (तूतीकोरिन) स्टरलाइट संयंत्र का विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस फायरिंग की एसयूसीआई (सी) ने की कड़ी निंदा

तुतुकुड़ी (तूतिकोरिन) में लगी हुई स्टेरलाइट कंपनी की तांबा गलाने की इकाई (खनन में विशेषज्ञता प्राप्त लंदन स्थित विशाल वेदांता समूह का एक हिस्सा) को बंद करने और साथ-साथ कंपनी के परिचालन का विस्तार करने की इसकी योजना को बंद करने की मांग को लेकर तूतिकोरिन और आसपास के ग्रामीण लोग निरंतर आंदोलन में हैं। 22 मई को, इस प्रतिवादी आंदोलन के वर्तमान चरण के 100वें दिन, तूतीकोरिन और इसके आसपास के गांवों के महिलाओं और बच्चों सहित हजारों लोग जिला कलेक्ट्रेट के कार्यालय के सामने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए एकत्र हुए। पुलिस ने सोमवार से 3 दिनों के लिए शहर में निषेधाज्ञा लागू कर दी थी। यह आरोप लगाते हुए कि रैली अनियंत्रित हो गई थी, पुलिस ने पहले प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागने का सहारा लिया और आखिरकार उन पर गोलियां बरसा दी। इस गोलीकाण्ड में कम से कम 12 लोग (अब 13 लोग) मारे गए और सौ से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए।

इसके संचालन की शुरुआत से ही, स्टेरलाइट की यह तांबा गलाने वाली इकाई पर्यावरण संबंधी सभी कायदे-कानूनों का उल्लंघन करते हुए हवा, पानी और पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है। स्टेरलाइट द्वारा पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप लोगों ने श्वसन संबंधी गंभीर समस्याओं के साथ-साथ अन्य बीमारियों से पीड़ित होने की शिकायत की है। एक पड़ाव पर स्टेरलाइट पर जुर्माना लगाने के अलावा, अदालत कभी गर्म और कभी नरम रुख अपनाती रही है, इकाई को कई बार बंद किया गया, केवल इसे फिर से खोलने के लिए।

लोगों के विरोध प्रदर्शन राज्य और केंद्र सरकारों, जिला प्रशासन, तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के खिलाफ निर्देशित होते रहे हैं, जो सभी वेदांत के हितों के पक्ष में काम करते रहे हैं, विशेषज्ञों के अकाट्य सबूतों से रूबरू होते हुए भी, उनको अनदेखा करते हुए, विभिन्न पर्यावरणीय मानदंडों का सरासर उल्लंघन किया जाता रहा है और प्रभावित लोगों की दिक्कतों और उनकी इस दलील को सुनने से इनकार किया जाता रहा है कि इस पर्यावरणीय खतरे को बंद कर दिया जाए।

जन विरोध के चलते महाराष्ट्र से बाहर निकाल दिये जाने के बाद जब से वेदांत ने 1995 में तमिलनाडु में पैर रखे हैं, उसी समय से वहां ये सब आशंकाएं थीं और राज्य में इस प्लांट का विरोध जारी था। लेकिन इन सब विरोध प्रदर्शनों के बावजूद सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी क्योंकि राज्य और केंद्र सरकार में जो भी पार्टी थी, उसने संदिग्ध भूमिका अदा की थी, जहां वेदांत ने शक्तिशाली मित्र पाल लिए थे।

इसलिए यह कोई आश्चर्य नहीं है कि आबादी के तमाम तबकों द्वारा समर्थित सोमवार के इस जनविरोध में लोग बड़े पैमाने पर लामबंद हुए थे, इसलिए उनका स्वागत लाठी, आंसू

(शेष पृष्ठ 7 पर)

सरकार और तेल कंपनियां देशवासियों को बेरोकटोक लूट रही हैं

पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि प्रधानमंत्री की जुमलेबाजी को भी पीछे छोड़ती जा रही है। यह न केवल कीमत में वृद्धि है, बल्कि देशवासियों की खुली लूट है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी सरकार इस लूट को चला रही है।

20 मई को डीजल के दाम बढ़कर 70.12 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल 79.91 रुपये प्रति लीटर हो गए। पिछले कुछ दिनों से तेल के दाम बढ़ रहे हैं। इसके बाद भी, हर दिन दाम बढ़ते ही रहेंगे। तेल के दामों में इस वृद्धि के पीछे दो घिसे-पिटे बहाने बनाये गए हैं। पहला, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में वृद्धि की कहानी, और दूसरा, डॉलर की कीमत के मुकाबले रुपये की कीमत में गिरावट। जबकि, भारत के पड़ोसी देशों में, तेल के दाम भारत से बहुत कम हैं, जो तेल के आयात पर निर्भर हैं। 14 मई 2018 को जहां डालर के हिसाब से (1 डॉलर = 68 रुपये) डीजल के दाम म्यांमार में 0.64, श्रीलंका में, 0.69, बांग्लादेश में 0.77, नेपाल में 0.83, पाकिस्तान में 0.85 डालर थे, वहीं भारत में इसके दाम 1.01डॉलर थे। जनता तो रुपये की कीमत में गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए तो मोदी सरकार जिम्मेदार है। उद्योगपति निर्यात में सुविधा लेने के लिए और विदेशी निवेशक इस देश में शेयर बाजार में और

पेट्रोल-डीजल के दामों में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि

अन्यत्र कहीं पूंजीनिवेश करने में रुपये की कीमत में गिरावट का फायदा उठा रहे हैं। इसके दुष्परिणामों का बोझ तेल के दाम बढ़ाकर आम लोगों पर लादा जा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के जिस बहाने से यहां तेल के दाम बढ़ाये जा रहे हैं, वह एक झांसा है।पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की धारावाहिकता में मोदी सरकार ने सत्ता में आने पर कहा था कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भाव के उतार-चढ़ाव के साथ जोड़ कर इस देश में तेल के दाम घटेंगे-बढ़ेंगे। इसे शेखी बघारते हुए 'व्यापार समता मूल्य निर्धारण पद्धति' (ट्रेड पैरिटी प्राइसिंग मेथेडोलॉजी) नाम दिया गया था। तब इसका उद्देश्य था तेल के लिए कोई अन्य सब्सिडी न देना। चूंकि, सरकारी अधिकारियों ने तब से ही मान लिया है कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतों में वृद्धि जारी रहेगी और इसकी वित्तीय देनदारियों को पूरी तरह से जनता पर लगाया जाएगा। लेकिन 2014 से, अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में गिरावट ही आई है। तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा राज्यसभा में 24 फरवरी 2016 को दिये बयान के मुताबिक 2014 के मई महीने में नरेंद्र मोदी सत्ता में बैठे, उस महीने के दाम प्रति बैरल 106.85 डॉलर थे। वे घटते-घटते फरवरी 2016 में 29.80 डॉलर प्रति बैरल हो गए थे। 'मूल्य

(शेष पृष्ठ 2 पर)

'पोल खोल - हल्ला बोल'

सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ देशभर में संयुक्त प्रदर्शन

दिल्ली : मोदी सरकार के चार साल के कुशासन के खिलाफ 23 मई को, जन एकता जन अधिकार आन्दोलन की ओर से मंडी हाउस, दिल्ली से संसद मार्ग तक 'पोल खोल, हल्ला बोल रैली' का आयोजन किया गया। वहां जाकर रैली जनसभा में तब्दील हो गई। संयुक्त रैली में, अन्य वाम संगठनों के साथ एआईयूटीयूसी, एआईडीएसओ, एआईएमएसएस और एआईडीवाईओ से महिलाओं, श्रमिकों, छात्रों, युवाओं और बुद्धिजीवियों ने अच्छी संख्या में भाग लिया। एआईयूटीयूसी के सचिवमण्डल सदस्य कॉ. सत्यवान और ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन दिल्ली की सचिव कॉ. रितु कौशिक ने जनसभा को संबोधित किया। सभा की अध्यक्षता जन एकता जन अधिकार आंदोलन, दिल्ली की कोर कमेटी ने की। एसयूसीआई(सी) दिल्ली के सचिव कॉमरेड प्राण शर्मा, एआईयूटीयूसी के कॉ. आरके शर्मा व एआईडीवाईओ से कॉ. गिरीश शर्मा मंच पर वाम संगठनों के अन्य नेताओं के बीच मौजूद थे। जनसभा में कॉ. आरके शर्मा ने एक क्रांतिकारी गीत और एआईडीएसओ, दिल्ली के साथियों ने एक समूह गान प्रस्तुत किया।

बिहार, पटना : यहां के भगत सिंह चौक, गांधी मैदान में 23 मई को जन एकता, जन अधिकार आन्दोलन की ओर से केंद्र में मोदी सरकार के कुशासन के 4 साल के खिलाफ प्रदर्शन किया और सभा की। एआईकेकेएमएस के कॉ. कृष्णदेव साह तथा एआईडीवाईओ के कॉ. उमाशंकर वर्मा ने बात रखी।

हरियाणा, करनाल : 23 मई को सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में जोरदार रोष प्रदर्शन किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री को मांगों का ज्ञापन भेजा गया। जन एकता जन अधिकार आंदोलन के बैनर तले हुए इस आयोजन में राज्य भर से आये मजदूरों, किसानों, छात्रों, महिलाओं और युवाओं ने हिस्सेदारी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद बीते 4 सालों में जो बेहतासा महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है, महिलाओं और दलितों पर जो हमले हुए हैं, खेती का जो भारी संकट पैदा हुआ है उसके विरोध में देश भर में आज प्रतिरोध किया जा रहा है। प्रदर्शन से पूर्व स्थानीय सब्जी मंडी में प्रतिरोध सभा हुई जिसकी अध्यक्षता इंद्रजीत सिंह, दरियाव सिंह कश्यप और रामफल सुहाग ने की।

सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि जो मोदी व भाजपा ने वायदे किए थे, ठीक उनके विपरीत कदम उठाए जा रहे हैं। जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। 4 साल जनता के साथ दगाबाजी की गई। किसान उजाड़े जा रहे हैं, उनको फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं, कर्जा बढ़ रहा है और किसानों की आत्महत्याओं की दर बढ़ रही है। खेत मजदूरों के लिए काम नहीं बचा है। मनरेगा स्कीम में बजट कटौती की जा रही और उनको काम नहीं दिया जा रहा है। श्रम कानूनों में मालिकपरस्त बदलाव किए जा रहे हैं। यूनियन बनाने के अधिकार का हनन किया जा रहा है। नोटबंदी व जीएसटी जैसे जनविरोधी फैसलों से छोटे दुकानदारों व कारोबारियों सहित आम आदमी की स्थिति बदतर हुई है। सभा में नगरपालिका कर्मचारियों की मांगों का तुरंत समाधान करने, 2 अप्रैल के बंद के दौरान दर्ज किए गए झूठे मुकदमों को रद्द करने व गिरफ्तार लोगों को रिहा करने की भी मांग की गई। सभा को एआईकेकेएमएस के राज्य सचिव कॉ. जयकरण दलाल, एआईयूटीयूसी के राज्य सचिव कॉ. हरि प्रकाश, एआईडीएसओ के राज्य सचिव कॉ. हरीश कुमार, एआईएमएसएस की ओर से कॉ. कुसुम पांचाल ने भी संबोधित किया।

उ.प्र., जौनपुर : मोदी सरकार के विनाशकारी 4 साल पूरे होने पर अखिल भारतीय पोल खोल, हल्ला बोल अभियान के

(शेष पृष्ठ 4 पर)

करनाल : 23 मई को जन एकता जन अधिकार आन्दोलन की रैली में शामिल विभिन्न संगठन

दिल्ली : 23 मई को संसद मार्ग पर सभा को संबोधित करते हुए कॉ. सत्यवान

धर्म की आड़ में और गंदी राजनीति के सहारे ही आशाराम जैसे पाखंडियों का बढ़ रहा है प्रभाव

आश्रम में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार के जुर्म में स्वघोषित धर्मगुरू आशाराम बापू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। जबरन जमीन पर कब्जा, पैसों के अवैध लेन-देन सहित और अनेक आरोपों पर मुकदमा चल रहा है। उसके खिलाफ बलात्कार के कई और आरोप हैं। मुकदमे के दौरान तीन गवाहों की हत्याएं हो चुकी हैं। नौ गवाहों पर हमले हो चुके हैं। जांच करने वाले पुलिस अधिकारी को कई हजार धमकी भरी चिट्ठियां मिल चुकी हैं। बलात्कार पीड़िता बच्ची की उम्र बढ़ाकर 18 साल करना होगा, ऐसा कहकर उसके स्कूल के प्राचार्य को लगातार धमकियां मिलती रही हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से लेकर भाजपा-कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं से आशाराम के गहरे रिश्ते रहे हैं। इस विशाल प्रभाव के दबाव को दरकिनार कर इस फैसले पर पहुंचना काफी कठिन था।

2013 में आशाराम के शिष्य नाबालिग बच्ची के माता-पिता उसे जोधपुर के समीप एक आश्रम में ले गये। 'अशुभ आत्मा' भगाने के नाम पर आशाराम ने बच्ची पर अत्याचार किये। इसके पहले भी आशाराम के आश्रम के चार नाबालिगों की रहस्यमय मौत हो चुकी थी। दो सड़ी-गली लाशें आश्रम के समीप नदी से बरामद हुई थीं। आरोप है कि उन पर काले जादू के प्रयोग के दौरान ही उनकी हत्या की गयी थी। सूरत में आशाराम के एक आश्रम की दो बहनों ने बलात्कार का आरोप लगाया था। इस आरोप के आधार पर पुलिस ने आशाराम के बेटे नारायण साईं को गिरफ्तार किया था। सूरत और अहमदाबाद में करीब 67 हजार एकड़ जमीन पर जबरन कब्जा करने के आरोप में अहमदाबाद कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। अपराध की ऐसी अनेक घटनाएं आश्रमों में घटती रही हैं।

चौथी कक्षा तक पढ़ाई करने वाला आशाराम शुरुआती जीवन में तांगा चलाया करता था। गुरू का भेष बनाकर वह गुजरात में साबरमती के किनारे झोपड़ी बनाकर रहने लगा। वहीं से उसके सफर की शुरुआत हुई। फिर वह राकेट की गति से आगे बढ़ता गया। देश भर में अब उसके 400 आश्रम हैं। देश और विदेशों में उसके कई करोड़ भक्त हैं। भक्तों की सूची में नेता, मंत्री, नौकरशाह, पुलिस अधिकारी, डाक्टर, शिक्षक, प्राध्यापक–कौन नहीं है? इन आश्रमों में करोड़ों रुपयों के लेन-देन हुआ करते थे। आयकर की जांच में 2008-2009 में 2300 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चला है। पुलिस का दावा है कि डरा-धमकाकर जमीन पर कब्जा करने से लेकर आकर्षक शर्तों पर रुपये उधार देने का प्रस्ताव भी आशाराम की संस्था दिया करती थी। जांच अधिकारियों का दावा है कि आशाराम की सम्पत्ति कम से कम दस हजार करोड़ रुपये है। स्कूल, छापाखाने, दवा की फैक्ट्रियां–क्या नहीं हैं उसके पास? करीब आठ महीने पहले इसी तरह से आश्रम में बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार स्वघोषित गुरू गुरमीत राम रहीम के बारे में सबको पता है। और अनेक धर्मगुरुओं की तरह राम रहीम या आशाराम के विशाल आर्थिक साम्राज्य तैयार करने की प्रक्रिया मोटे तौर पर एक जैसी ही है। ऐसे सभी गुरू, भक्तों की अंधभक्ति को मूलधन बनाकर राजनेताओं का समर्थन और सहयोग हासिल करते हैं। बदले में वे इन चुनावी नेताओं को अपने भक्तों के समर्थन की गारंटी करवाते हैं। भक्त अपने गुरुओं को ईश्वर का दूत समझते हैं। वे उनके निर्देश की अवमानना के बारे में सोच भी नहीं सकते। धर्म और राजनीति के इस तालमेल से दोनों बेफिक्र और बेहिचक जुर्म करते जाते हैं। तभी तो प्रधानमंत्री को कहते सुना जाता है कि जब मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था, तो आशाराम थे। तभी तो आशाराम के खिलाफ 67 हजार एकड़ जमीन पर जबरन कब्जे के आरोप के मामले की प्रक्रिया सुस्त हो जाती है। तभी तो राम रहीम को जब सजा होती है, तो संगठित विरोध प्रदर्शन होता है। एक के बाद एक जुर्म होते रहते हैं, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के निर्देश पर पुलिस-प्रशासन मौन और निष्क्रिय बना रहता है। इन धर्मगुरुओं का जुर्म जब हद पार कर जाता है अथवा पीड़ित-प्रताड़ित भक्तों में से कोई जब जीवन को दांव पर लगाकर विरोध दर्ज करता है, जुर्म उजागर करता है, तब कभी-कभी आशाराम, राम रहीम सरीखे दो-एक को जेल जाना पड़ता है। न जाने और ऐसे कितने पाखंडी गुरू हैं, जो इसी तरह दिन पर दिन कितने आश्रमों में कितनी सरल विश्वासी भक्त महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं। अधिकांश मामलों में पीड़िताएं डर से मुंह नहीं खोलती हैं। जो महिलाएं हिम्मत जुटाकर मुंह खोलती भी हैं, वे अदालत की सीढ़ियों तक पहुंचने से पहले ही गुरुओं के संगठित गुंडों द्वारा गायब कर दी जाती हैं। ऐसे दो-एक गुरुओं की करतूतें उजागर होने पर कुछ मर्मस्पर्शी घटनाएं सामने आती हैं।

धर्म का व्यापार करने वाले ये धर्मगुरू ही आज समाज में धर्म के रखवाले बने हुए हैं। भारत में बुद्ध, चैतन्य, विवेकानंद जैसे धार्मिक महापुरुषों की पैदाइश हुई है। उन्होंने अपने ढंग से लोगों की मुक्ति के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था। विवेकानंद ने कलकत्ता में प्लेग के मरीजों की सेवा के लिए आवश्यक धन जुटाने हेतु अपने अनुयायियों से बेलूर मठ बेचने को कहा था। देश के करोड़ों शोषित-पीड़ित लोगों की मुक्ति के बारे में सोचना तो दूर रहा, ये पाखंडी धर्मगुरू उनकी दुख-तकलीफों की ओर मुड़कर भी नहीं देखते। ये धर्मगुरू धर्म के नाम पर देश के करोड़ों आम लोगों की अशिक्षा को पूंजी बनाकर उन्हें अंधेरे में धकेलकर खुद धन कुबेर बन बैठे हैं, ऐशो-आराम का जीवन जी रहे हैं। इन लोगों ने भक्त महिलाओं के जीवन को नरक बना दिया है। महिलाओं के बारे में आशाराम के क्या विचार हैं, यह निर्भया बलात्कार कांड के दौरान उसके बयान से प्रकट हो चुका है। आशाराम ने कहा था, ''बलात्कारियों को भाई कहकर गुहार लगानी चाहिए थी उसे। इससे उसके जीवन और सम्मान–दोनों की रक्षा होती। क्या ताली एक हाथ से बजती है?'' आशाराम का मानना था कि उसके जैसा 'महाज्ञानी' पुरुष यदि किसी महिला का यौन उत्पीड़न करता है, तो वह पाप नहीं माना जायेगा। आश्रम के एक भक्त ने कोर्ट में गवाही के दौरान यह बात कही है। क्या ये धर्मगुरू हैं? क्या इनके जीवन में कहीं भी धर्म का कोई नामोनिशान है? इनके दुष्कर्मों में मददगार बनती हैं चुनावी राजनैतिक पार्टियां। राजनीति के क्षेत्र में आज इनकी मुख्य मददगार है भाजपा-आरएसएस। लोगों की धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल कर वे अपनी चुनावी राजनीति, सांसद, विधायक, मंत्री बनने तथा सत्ता हथियाने की राजनीति के स्वार्थ को चरितार्थ कर रही हैं। कांग्रेस नेताओं ने भी हमेशा धर्मगुरुओं को मदद पहुंचाकर इसी तरह से चुनावी राजनीति में फायदा लूटा है। यही वजह है कि आज राजनीति में नीति-सिद्धांत की बजाय नीतिहीनता, धोखाधड़ी, साम्प्रदायिकता, जातिवाद, दंगे-फसाद मुख्य संचालक शक्ति बन चुके हैं।

लेकिन स्वाभाविक तौर पर सवाल उठता है कि आशाराम, राम रहीम आदि द्वारा अंजाम दी गयी ऐसी शर्मनाक घटनाएं क्या उनके अनुयायियों की आंख खोलने में मदद करेंगी? इसमें काफी संदेह है। आजादी के सत्तर सालों में केन्द्र और राज्यों में एक के बाद एक तरह-तरह की सरकारें आयी हैं। सभी ने देश की बहुसंख्य जनता को अशिक्षा, अज्ञानता तथा अंधविश्वासों के घुप अंधेरे में दबोचे रखा है। शिक्षा के जो भी अवसर बचे हैं, वे सारहीन हैं। उनसे विज्ञान आधारित तार्किक मानसिकता का निर्माण नहीं हो सकता। उल्टे नेता-मंत्रियों के बयानों, योजनाबद्ध रूप में इतिहास की विकृति, पाठ्यक्रमों में अवैज्ञानिक, अनैतिहासिक बातों को घुसेड़ने के जरिये अंधता को ही बरकरार रखा जा रहा है। इस अंधता का अभ्यास ही एक तरफ इन गुरुओं को अपना व्यवसाय चलाने के लिए मूलधन का काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ भाजपा की साम्प्रदायिक राजनीति, हिन्दुत्व की राजनीति को ईंधन दे रहा है। साथ ही आज कांग्रेस-भाजपा सहित बुर्जुआ-पेटी बुर्जुआ पार्टियों की पूंजीवादी आर्थिक नीतियों की वजह से लोगों का जीवन गहरे संकट से घिर चुका है। बेबस और लाचार लोग इस संकट से बाहर निकलने का कोई रास्ता न पाकर और ज्यादा नसीब पर, ईश्वर पर निर्भरशील हो रहे हैं। ये धर्मगुरू लोगों की इस बेबसी का लाभ उठा रहे हैं। आज एकमात्र एक सही कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में जनजीवन के ज्वलंत सवालों के हल की मांग पर निर्मित बड़े पैमाने के वाम जनवादी आंदोलन ही लोगों को इस बेबसी से मुक्त कर सकते हैं। ये ही आंदोलन लोगों को यह समझा सकते हैं कि नसीब नहीं, ईश्वर नहीं, बल्कि आपके जीवन की बदहाली के लिए मुनाफे पर आधारित यह पूंजीवादी व्यवस्था ही जिम्मेवार है। जब तक यह व्यवस्था रहेगी, जब तक ये चुनावी बुर्जुआ पार्टियां सत्ता में बनी रहेंगी, तब तक उनकी बदहाली में कोई तब्दीली नहीं आयेगी। बड़े पैमाने पर जन आंदोलन के द्वारा सड़ चुकी इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के जरिये ही उनकी बदहाली का खात्मा हो सकता है। और यह वास्तविकता है। विभिन्न देशों में सम्पन्न समाजवादी क्रांतियां इसकी बानगी पेश करती हैं।

छात्रा के यौन शोषण का एआईडीएसओ ने किया विरोध

हरियाणा (रोहतक) : 18 मई को एआईडीएसओ के प्रदेश सचिव कॉ. हरीश कुमार सैनी ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के एक प्रोफेसर द्वारा स्नातकोतर की छात्रा का कथित यौन शोषण करने के आरोप पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि मदवि की एक छात्रा द्वारा अपनी एक मित्र के लिए उसी के डिपार्टमेंट के प्रोफेसर द्वारा किए गए यौन शोषण के खिलाफ वीसी को लिखे गए पत्र में प्रोफेसर पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। यूनिवर्सिटी को ऐसे पत्र मिलते ही तुरंत जाँच का आदेश देना चाहिए था, लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई गई यौन उत्पीड़न एवं रोकथाम समिति को भी जांच के लिए नहीं कहा गया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा तुरंत जांच के आदेश न देना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन व सरकार से मांग की है कि इस घटना की तुरंत जांच की जाए व दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, यूनिवर्सिटी कैम्पस में छात्राओं के लिए अनुकूल माहौल बनाया जाए।

सरकार और तेल कंपनियां...

(पृष्ठ 1 का शेष)

समता पद्धति' के मुताबिक हिसाब लगाया जाए, तो जिस दिन नरेंद्र मोदी सत्ता में बैठे, उस दिन पेट्रोल के दाम 71.41 रुपये हो जाने से पेट्रोल के दाम घटकर 29.80 डॉलर प्रति बैरल हो गए थे तब तरह-तरह के टैक्सों सहित पेट्रोल के दाम 30.00 रुपये हो जाने चाहिए थे। जबकि मोदी सरकार ने दाम 59.95 रुपये बांध दिये थे। अंतरराष्ट्रीय बाजार में, कच्चे तेल के दामों में 66 प्रतिशत की कमी आ जाने पर भी इस देश में दाम केवल 16 प्रतिशत घटाये गए। दामों में आई कमी का फायदा आम लोगों को न देकर सरकार ने बेहताशा एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) बढ़ा कर और केंद्रीय करों में भारी वृद्धि करके भारी मात्रा में पैसा हड़प लिया। जब मोदी सत्ता में आए, तो पेट्रोल पर प्रति लिटर उत्पाद शुल्क 9.48 रुपये था, जो बढ़ते-बढ़ते 21.48 रुपये प्रति लीटर तक हो गया। डीजल पर उत्पाद शुल्क प्रति लीटर 3.56 रुपये से बढ़कर 17. 33 रुपये हो गया (सूत्र: the times of india.indiatimes.com/business)। बिक्री कर, प्रवेश कर, वैट और पोल्यूशन सेस के अतिरिक्त, विभिन्न राज्य सरकारें 20% से 37% के बीच टैक्स कमाती हैं। फिर कहां गई उनकी घोषित 'व्यापार समता मूल्य निर्धारण पद्धति'? क्या यह देश के लोगों की हो रही बेरोकटोक लूट नहीं है?

पेट्रोल-डीजल को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार की लूट, विश्वासघात और झांसों का यहीं अंत नहीं है। हाल ही में कर्नाटक चुनावों में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कोई नोटिस दिए बिना ही, 19 दिनों के लिए अंतरराष्ट्रीय भावों के साथ दामों की समानता स्थगित कर दी गई थी। जैसे ही चुनाव का दौर समाप्त हो गया, फिर दोबारा मूल्य समता चालू हो जाने से आये दिन तेल के दाम छलांगें मारते हुए बेतहाशा बढ़ रहे हैं और 20 मई को पेट्रोल के दाम 78.91 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 70.12 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गए। लेकिन 19 दिनों के लिए दामों में वृद्धि नहीं हुई, क्या आम लोगों को उसका कोई फायदा हुआ? नहीं। बिल्कुल नहीं हुआ। खबर छपी कि 'कोटक इंस्टिट्यूशनल इक्विटीज' ने दावा किया है कि 19 दिनों तक तेल के दाम एक जगह ठहरे रहने से तेल कंपनियों को औसतन लाभ प्रति लीटर 50-70 पैसे गिर गया। कंपनियां आम तौर पर प्रति लीटर 2.70 रुपये का लाभ प्राप्त करती हैं। इस समय कंपनियों को लगभग 500 करोड़ रुपये कम लाभ हुआ। अब कंपनियां वह 500 करोड़ रुपये वसूलने के लिए डीजल के दाम साढ़े तीन रुपये से लेकर साढ़े चार रुपये तक और पेट्रोल के दाम चार से साढ़े चार रुपये तक बढ़ाना चाहती हैं।

2014 में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 106.85 डालर प्रति बैरल थे, तब अगर पेट्रोल के रेट प्रति लीटर 71.41रुपये हुए, तो उसके दाम आज उस समय की तुलना में लगभग 27 डॉलर से भी कम होने के बावजूद अर्थात् तेल के दाम प्रति बैरल 80 डॉलर के आसपास हो जाने से ही पेट्रोल के दाम प्रति लीटर 80 रुपये किस हिसाब से हो गए हैं?

अब सत्तारूढ़ दल इतने बेशर्म हो गए हैं कि जब देश में कोई राजनीतिक या सामाजिक अशांति पैदा होने की घटना होती है, तो जनता की आंखें उस तरह लगी होने के मौके का फायदा उठा कर तभी उन पर जोरदार वित्तीय हमलों पर उतारू हो जाते हैं। राजनीतिक, सांप्रदायिक, या किसी भी तरह की सामाजिक अस्थिरता के समय भी, वोट बटोरू पार्टियों का इस्तेमाल कर पूंजीपति वर्ग लोगों पर अपने शोषण का शिकंजा कस रहा है। दिवालिया राजनीति का चेहरा देखकर उसकी प्रतिक्रिया में, आम लोगों में गैर-राजनीतिक भावनाओं, सामाजिक-राजनीतिक आंदोलनों की भागीदारी के प्रति उदासीनता शासकों के लिए इस तरह के हमले करने के लिए और भी अधिक फायदेमंद है। इन सब हमलों से ही लोग और भी अधिक दिशाहीन हो गये हैं। अर्थात् शासक वर्ग की पार्टियों को सही ढंग से पहचानने में सक्षम नहीं होने के कारण लोग जहां धोखा खाते जा रहे हैं, वहीं इसका विरोध नहीं कर पाने से वे और भी जोरदार वित्तीय हमलों से रूबरू हैं। जनता को यह समझना चाहिए कि ज्यों-ज्यों दिन गुजरते जाएंगे, त्यों-त्यों हमले उतने ही बढ़ते जाएंगे।

तेल के दामों में यह वृद्धि जनजीवन पर घातक हमला लाएगी। परिवहन लागत खर्च में वृद्धि के कारण, आवश्यक वस्तुओं समेत सभी चीजों की कीमतें बढ़ेंगी, सार्वजनिक परिवहन का किराया-भाड़ा बढ़ेगा, जो संकटग्रस्त लोगों के जीवन को और अधिक असहनीय बना देगा। इसी बीच कुछ राज्यों में किराए-भाड़े बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इसलिए किसी भी कीमत पर इस हमले का विरोध करने के लिए लोगों को आगे आना होगा। सरकार द्वारा थोपे हुए टैक्स कम करके और कॉर्पोरेट लाभ को कम करके तेल के दाम घटाने की मांग उठनी चाहिए।

भाजपा शासन में न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में

न्यायपालिका की स्वतंत्रता! सत्ताधारी पार्टी तथा सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त न्यायपालिका! ये बातें आज पुरानी यादें बनकर रही गयी हैं–एक बार फिर साबित हुआ।

न्यायाधीशों की बहाली के लिए उच्चतम न्यायालय के पांच वरिष्ठ न्यायाधीशों को लेकर बने कॉलेजियम की सिफारिश को केन्द्र सरकार ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के. एम. जोसेफ को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बहाली की सिफारिश को सरकार ने खारिज कर दिया है। इस सिफारिश को लौटाने से पहले भाजपा सरकार ने मुख्य न्यायाधीश की राय लेना भी मुनासिब नहीं समझा। कानूनन न्यायाधीशों की बहाली के मामले में कॉलेजियम का फैसला ही अंतिम होता है। इस संबंध में केन्द्र सरकार अपनी राय उच्चतम न्यायालय पर नहीं थोप सकती।

इस घटना के कुछ दिनों पहले उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठ न्यायाधीशों–जे. चेलमेश्वर और कुरियन जोसेफ ने अपने अलग-अलग पत्रों में मुख्य न्यायाधीश से कहा था कि सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की सिफारिश पर चार महीने तक कोई कार्रवाई नहीं की। न्यायाधीश कुरियन जोसेफ ने यहां तक कहा था कि न्यायपालिका की आजादी में इस हद तक बीमारी फैल गयी है कि यदि इसका तत्काल इलाज नहीं किया गया, तो इसकी मौत निश्चित है। उनकी यह आशंका सच साबित होती दिख रही है।

केन्द्र की भाजपा सरकार जिस तरह तमाम जनतांत्रिक संस्थानों पर कब्जा जमा रही है, उसी तरह वह उच्चतम न्यायालय को भी पूरी तरह से अपना गुलाम बनाने पर तुली हुई है। फली नरीमन सरीखे देश के प्रबुद्ध कानून विशेषज्ञ से लेकर पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर. एम. लोढ़ा जैसे कानूनविदों ने कहा है कि इसका विरोध होना चाहिए। न्यायपालिका को पूरी तरह अपना वफादार बनाने के लिए सरकार अपने नापसंद के लोगों को किसी भी कीमत पर न्यायाधीश के रूप में देखना नहीं चाहती है। भाजपा के केन्द्र सरकार में सत्तासीन होने के बाद उत्तराखंड में लगाये गये राष्ट्रपति शासन को न्यायाधीश के. एम. जोसेफ ने गैरकानूनी करार दिया था। यही वजह है कि उनकी बहाली पर सरकार ने रोक लगा दी।

केन्द्र सरकार ने अपनी कारगुजारियों की सफाई देते हुए कहा है कि न्यायाधीश जोसेफ के मुकाबले अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों की मौजूदगी तथा केरल से एक न्यायाधीश पहले से ही उच्चतम न्यायालय में रहने की वजह से उनकी बहाली नहीं हो रही है। हालांकि संविधान विशेषज्ञों और कानूनविदों ने एक स्वर में कहा है कि उच्चतम न्यायालय जैसे संस्थान में न्यायाधीशों की बहाली का एकमात्र पैमाना उनकी योग्यता है। वरीयता, राज्य का प्रतिनिधित्व, धर्म, जात-पांत आदि को किसी भी तरह से योग्यता के पैमाने पर हावी नहीं होना चाहिए। देश भर में 24 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 400 पद रिक्त हैं। नीचली अदालतों में न्यायाधीशों के करीब 6000 पद खाली हैं। न्यायाधीशों की कमी की वजह से 2 करोड़ 61 लाख मुकदमे लम्बित हैं। जबकि न्यायाधीशों की बहाली को लेकर केन्द्र और राज्य सरकारें तनिक भी गंभीर नहीं हैं।

न्यायाधीशों की बहाली के मामले में इससे पहले भी कॉलेजियम की सिफारिश को भाजपा सरकार ने पूरी तरह से नकार दिया था। उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के अस्थाई न्यायाधीश रामेन्द्र जैन को स्थाई करने और कर्नाटक उच्च न्यायालय में उनका तबादला करने की सिफारिश की थी। न्यायाधीश जैन को स्थाई करने की बजाय उन्हें छह महीने तक एक्सटेंशन देकर ही जिम्मेवारी पूरी कर ली गयी। उनके तबादले के मामले को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। यहां तक कि सरकार ने उच्चतम न्यायालय को यह भी नहीं बताया कि वह सिफारिशों को लागू नहीं कर रही है। सितम्बर 2017 में भाजपा सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश को इसी तरह पैरों तले रौंदकर न्यायाधीश जयंत पटेल को कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं बनने दिया।

गुजरात के नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में 97 लोगों की हत्या के जुर्म में भाजपा की पूर्व मंत्री मायाबेन कोडनानी को सजा हुई थी। इस फैसले को लेकर उच्च न्यायालय में अपील किये जाने संबंधी मामले से सात न्यायाधीश हट चुके हैं। कई न्यायाधीशों ने जान से मारने की धमकी मिलने की बात कही है। अंततः 20 अप्रैल को गुजरात उच्च न्यायालय ने सत्र अदालत से दंडित जमानत पर घूम रही भाजपा की पूर्व मंत्री मायाबेन कोडनानी को रिहा कर दिया। उच्च न्यायालय ने कहा है कि गुजरात पुलिस के विशेष जांच दल 'सीट' ने उनके खिलाफ कोई सबूत जुटाने की कोशिश नहीं की। कई गवाहों तथा प्रत्यक्षदर्शियों के बारीक विवरण के बावजूद 'सीट' मौन बना रहा, ताकि 'संदेह का लाभ' (Benefit of doubt) की वजह से कोडनानी का बचाव हो सके। इसी तरह केन्द्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अदालत में हैदराबाद के मक्का मस्जिद में बम विस्फोट कर नरसंहार के जुर्म के आरोपी भाजपा के घनिष्ठ लोगों के खिलाफ आईएनए ने कुछ भी साबित करने की कोशिश नहीं की।

करीब-करीब इसी समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने कह दिया कि अब न्यायाधीश ब्रिजगोपाल हरकिशन लोया की मौत को लेकर किसी जांच की जरूरत नहीं है। मुख्य न्यायाधीश और उनके सहयोगी अन्य दो न्यायाधीशों ने इस संबंध में जनहित में दायर याचिका को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा है कि राजनैतिक संघर्ष राजनीति के अखाड़े में ही होने चाहिए। लेकिन न्यायाधीश लोया की मौत को लेकर जो सवाल उठे हैं, उनके साथ राजनैतिक सत्ताधारकों के सवाल ऐसे ओत-प्रोत रूप से जुड़े हुए हैं कि उन्हें दरकिनार कर इन सवालों पर चर्चा नहीं हो सकती। न्यायाधीश लोया की मौत को लेकर जो सवाल उठे थे, उनका जवाब देश की जनता को नहीं मिला। उच्चतम न्यायालय में कोई मुकदमा चलने का अर्थ है, उस पर संदेहातीत रूप से फैसला होगा। किसी भी जनतंत्र में लोग ऐसी ही उम्मीद रखते हैं। लेकिन यह फैसला किसी भी संदेह को संदेहातीत रूप से समाप्त नहीं कर पाया।

न्यायाधीश लोया की मौत संबंधी मामले को वरिष्ठ अधिवक्तागण उच्चतम न्यायालय में नहीं उठाना चाहते थे। पहले ही कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र देकर कहा था कि इस मौत को लेकर बम्बे उच्च न्यायालय में जो मामला चल रहा है और सीबीआई की जो जांच चल रही है, उसे पूरा किये बगैर उच्चतम न्यायालय में मामला दायर करना उचित नहीं होगा। गवाही लेना, साक्ष्य इकट्टे करना और उसे स्थापित करने का काम सत्र न्यायालय स्तर की अदालतों में होता है। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय उन साक्ष्यों की जांच भर करते हैं। इसलिए सीबीआई की अदालत को फांदकर अगर मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में जाता है, तो कुछ भी साबित करना मुश्किल होगा। अतएव उच्चतम न्यायालय में इस जनहित याचिका की सुनवाई न होना बेहतर है। 12 जनवरी को उच्चतम न्यायालय के चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों (जे. चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, एम. बी. लोकुर और कुरियन जोसेफ) ने अपने अभूतपूर्व बागी पत्रकार सम्मेलन से पहले मुख्य न्यायाधीश को ठीक यही बात कही थी। ऐसे में उच्चतम न्यायालय को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत थी। मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने संदेहों की जांच के लिए पुलिस जांच पूरी होने तक भी इंतजार नहीं किया। पीठ ने सरकार को मजबूर नहीं किया कि वह जांच पूरी कर उठाये गये सवालों का जवाब दे। उल्टे न्यायाधीश लोया के सहयोगी चार न्यायाधीशों की बातों को ही मानकर सारी जांच बंद कर दी। न्यायाधीश लोया के परिवार जनों ने निराश होकर कहा था कि अदना-सा आम आदमी के तौर पर हमारे लिए और कहीं जाने की स्थिति नहीं है। इन फैसलों से भाजपा खुश है, लेकिन सोली सोराबजी जैसे विशिष्ट अधिवक्ताओं से लेकर आम आदमी तक नाखुश है। इस संबंध में एक बात काफी महत्वपूर्ण है। लोया के मामले को उच्चतम न्यायालय में खींचकर ले जाने और तमाम लोगों के एतराज के बावजूद अतिशीघ्र सुनवाई के लिए आरएसएस काफी सक्रिय था। आरएसएस नेता भैयाजी जोशी इस कोशिश में लगे हुए थे कि सीबीआई अदालत की जांच प्रक्रिया आगे बढ़ने के पहले ही उच्चतम न्यायालय मामले को रफा-दफा कर दे। क्या यह राजनीति से प्रेरित नहीं है?

2005 में गुजरात पुलिस ने सोहराबुद्दीन शेख को फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया। राज्य में भाजपा सरकार के गृहमंत्री हरेन पंड्या की हत्या के साक्ष्य को मिटाने के लिए ही सोहराबुद्दीन की हत्या की गयी। हरेन पंड्या की हत्या ने भाजपा के अनेक नेताओं के राह के रोड़े को हटा दिया था। अमित शाह उसी दौरान राज्य के गृहमंत्री बने थे। सोहराबुद्दीन की हत्या के करीब एक साल बाद खुलासा हुआ कि यह 'मुठभेड़' फर्जी थी। उच्चतम न्यायालय में गुजरात के आई. जी. (सीआईडी) गीता जैहरी के बयान में अमित शाह का नाम सामने आया। न्यायालय ने सीबीआई जांच के आदेश दिये। गुजरात पुलिस के तत्कालीन डीआईजी डी. जी. बंजारा, जो 'मोदी मेरे भगवान' कहकर नरेन्द्र मोदी की स्तुति किया करते थे, वे उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप

(शेष पृष्ठ 6 पर)

एआईयूटीयूसी से सम्बद्ध आशा वर्कर्स एसोसिएशन (दावा) की जीत

कोर इंसेंटिव सहित सभी इन्सेंटिव हुआ दुगुना

एआईयूटीयूसी से सम्बद्ध दिल्ली आशा वर्कर्स एसोसिएशन (दावा) की उल्लेखनीय जीत हुई है। 22 मई 2018 को दिल्ली सरकार की केबिनेट ने दिल्ली आशा वर्कर्स एसोसिएशन से 29 सितंबर 2017 को किये वादों को अपनी मंजूरी दे दी। जिसके अनुसार अब आशा वर्कर्स का कोर इंसेंटिव 1500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया है एवं साथ ही अन्य इंसेंटिव (प्रोत्साहन राशि) भी दोगुना कर दिये गए हैं। गर्भवती आशा वर्कर को 6 महीने तक 2000 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त देने की घोषणा भी की गई है।

कैबिनेट की इस मंजूरी के बाद मुख्यमंत्री आवास पर दावा यूनियन के नेताओं की दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन के साथ एक मीटिंग हुई, इसमे मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद इन्हें तुरंत लागू कर दिया जाएगा। वे स्वयं इनकी मंजूरी के लिए शीघ्र ही उपराज्यपाल से मिलेंगे और 15 जून तक इन्हें लागू करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस मीटिंग में बड़ी संख्या में दावा यूनियन की डिस्पेंसरी लीडर्स मौजूद थीं जिन्होंने आशा वर्कर्स की अन्य समस्याओं व मांगें भी मुख्यमंत्री के सामने रखी। उन्होंने कहा कि 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार आशा वर्करों को कर्मचारी का दर्जा व वेतन देकर दिल्ली सरकार देश के लिए उदाहरण बने। साथ ही ई.एस.आई, पी.एफ, स्वास्थ्य बीमा व अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किए जाएं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों का आशा वर्करों के साथ व्यवहार सम्मानजनक होना चाहिए तथा बिना वजह कागज माँगना, फोटो कॉपी मांगना, बिना वजह पॉइंट काटना, किए गए काम को सही ढंग से दर्ज न करना, बिना इंसेंटिव के काम कराना आदि समस्याओं का निदान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आशा वर्करों से लिए जाने वाले कार्य से संबंधित आर्डर की कॉपी प्रत्येक डिस्पेंसरी में नोटिस बोर्ड पर लगाई जाए। इसमे यह भी दर्ज हो कि इस काम का कितना इन्सेंटिव दिया जाएगा।

इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्री सतेंद्र जैन ने कहा कि वह इन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि सभी आशाओं को जल्द ही टैबलेट दिए जाएंगे जिससे इन शिकायतों में कुछ कमी आएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान आप सरकार ने दावा यूनियन की मांग पर ही दो वर्ष पहले भी 1 मई 2016 को कोर इंसेंटिव 500 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये किया था। अन्य इंसेंटिव भी बढ़ाए गए थे, कुछ नए इंसेंटिव दिए गए थे और सभी आशाओं को फ्री सीयूजी सिम प्रदान की गई थी जिससे आशाओं को काफी लाभ पहुँचा है। हमने एक बार फिर दावा यूनियन की मांग पर सभी इंसेंटिव बढ़ाकर दुगुने कर दिये हैं। आप सरकार आपकी दूसरी मांगों को भी पूरा करने के लिए प्रयासरत रहेगी। मीटिंग में दिल्ली विधानसभा के डायरेक्टर श्री रत्नेश गुप्ता भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बढ़ाए गए इंसेंटिव से आशाओं को हर महीने लगभग 8000 रुपये से लेकर 10000 रुपये आय हो जाने की संभावना है।

दिल्ली आशा वर्कर एसोसिएशन (दावा यूनियन) के अध्यक्ष एवं एआईयूटीयूसी के दिल्ली प्रदेश सचिव कॉमरेड एम. चौरसिया ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा आशा वर्करों की कुछ महत्वपूर्ण मांगों को कैबिनेट की मंजूरी दिए जाने का हम स्वागत करते हैं। हम इनके शीघ्र लागू किये जाने की उम्मींद करते हैं। हालांकि यह जानकर हमें दुख हुआ है कि सरकार अपने किए हुए वादे के अनुसार बढ़ाए गए इंसेंटिव को 1 अक्टूबर 2017 से लागू नहीं कर रही है, हम सरकार से इस बारे में पुनर्विचार करने की अपील करते हैं। दावा यूनियन की कार्यकारी अध्यक्ष सोनू व महासचिव शिक्षा राणा ने कहा कि आशा वर्करों को मातृत्व लाभ प्रदान करने की हमारी मांग को दिल्ली सरकार द्वारा दी गई आंशिक स्वीकृति गर्भवती आशा को 2000 रुपये महीने की घोषणा महत्वपूर्ण है। दावा यूनियन की कार्यालय सचिव कविता सिंह व भंवर पाल ने कहा कि यह दिल्ली की आशा वर्करों के जुझारू, व्यापक, एकताबद्ध व निरन्तर आंदोलन की जीत है। आंदोलन के प्रत्येक स्तर पर आशा बहनों ने बढ़चढ़ कर निडरतापूर्वक पहलकदमी ली है चाहे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के साथ मीटिंग हो या अधिकारियों के साथ, स्वीकृत मांगों को पूरा करवाने के लिए ज्ञापन देना हो या प्रदर्शन करना हो। दोबारा हड़ताल की तैयारी कर रही आशा बहनों ने पहली बार बिना झिझक अपने अधिकारियों के समक्ष काली पट्टी बांधकर आवाज उठाई। आंदोलन के अगले चरण में विधायकों को ज्ञापन सौंपने के लिए भी कहीं जुलूस, कहीं घेराव, कहीं प्रदर्शन और कहीं धरना दिया गया। इसलिए हमारे आंदोलन की जीत हम सभी आशा बहनों की जीत है। हम आशा बहनों की एकता एवं जुझारू संघर्ष की जीत है।

संसद के बाहर वामपंथी आंदोलन पर जोर दें

28-29 अप्रैल केरल के कोल्लम में आयोजित सीपीआई की पार्टी कांग्रेस में आमंत्रित
एसयूसीआई (सी) की केंद्रीय कमेटी के सदस्य कॉ. शंकर साहा का भाषण

कोल्लम : सीपीआई की 23वीं पार्टी कांग्रेस को संबोधित करते हुए कामरेड शंकर साहा

सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट) की केंद्रीय कमेटी की ओर से आपकी पार्टी की 23वीं कांग्रेस में उपस्थित सभी लोगों को मैं गर्मजोशी के साथ बिरादराना अभिनन्दन देता हूं। साथ ही वर्तमान परिस्थिति के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर हमारी पार्टी के दृष्टिकोण को संक्षेप में रखने का अवसर देने के लिए मैं आपका तहेदिल से शुक्रगुजार हूं। ऐसे एक समय आपकी पार्टी की कांग्रेस आयोजित हो रही है जब समूची पूंजीवादी-साम्राज्यवादी दुनिया में मेहनतकश लोग सिर्फ आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि नीति-नैतिकता व संस्कृति के क्षेत्र में भी एक अभूतपूर्व और सर्वग्रासी संकट से रूबरू हैं। महिलाओं और बच्चियों पर होने वाले अपराधों ने न केवल विकराल रूप ले लिया है, बल्कि सत्ताधारियों द्वारा अपनी घटिया राजनीति के हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मेहनतकश लोगों के एक विशाल तबके का जीवन बेहद दुख दुर्दशा भरा हो गया है, भीषण असहनीय और दमघोटू हो गया है। दुनियाभर में लाखों लाख शोषित-पीड़ित लोगों के, खासकर यूरोप और अरब देशों में स्वत:स्फूर्त विक्षोभ आंदोलन फूट पड़े हैं। यहां तक कि विश्व पूंजीवाद का गढ़ कहलाने वाले अमेरिका तक को भी इन्होंने हिला कर रख दिया है। विश्व बाजार पर कब्जे का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से जंगखोर साम्राज्यवादी ताकतें एक पर एक देशों पर व्यापक तबाही मचाने वाले युद्ध थोप रही हैं। सीरिया के आवाम पर ब्रिटेन और फ्रांस की मदद से किया गया अमेरिकी हमला उसकी ताजा मिसाल है।

हमारा देश भी इसका अपवाद नहीं है। वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति में भारतीय पूंजीवाद बड़ी तेजी के साथ अपनी वित्तीय पूंजी की पोजीशन को और भी सुदृढ़ और मजबूत कर ले रहा है। समाजवादी खेमे के दुखद पतन के बाद बदली हुई विश्व परिस्थिति में विश्व बाजार में हिस्सेदार होने की भारत के राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग की आकांक्षा लगभग केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा डब्ल्यूटीओ में हिस्सा लेने के जरिए पूरी हो गई थी। इसके फलस्वरूप पेट्रोलियम पदार्थों सहित रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की महंगाई, गरीबी, भुखमरी, गरीब किसानों द्वारा पैदा की गई कृषि उपज की मजबूरी में ओने पौने दामों पर बिक्री, देश भर में लाखों किसानों की लगातार हो रही आत्महत्याएं, नौकरी की असुरक्षा आदि में बेतहाशा बढ़ोतरी की घटनाओं ने लोगों को बिल्कुल दिशाहीनता और चौतरफा हताशा के अंधकार की ओर धकेल दिया है। यह बात दिन के उजाले की तरह साफ है कि आर्थिक क्षेत्र में वर्तमान बीजेपी-नीत एनडीए सरकार की नीतियों में और पूर्ववर्ती कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार की नीतियों में असल में कोई फर्क नहीं है।

शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जबरदस्त हमले, लोगों के विज्ञान आधारित चिंतन-मनन और विश्वास पर आघात गहरी चिंता का विषय है। घोर सांप्रदायिक आरएसएस की राजनीतिक शाखा बीजेपी एक ओर जहां पुराने दकियानूसी, विज्ञान-विरोधी, आध्यात्मिक चिंतन को बढ़ावा देकर इनको पुनर्जीवन दे रही है, दूसरी तरफ वह जात-पात और सांप्रदायिकता को उकसाकर मेहनतकश लोगों की एकता में दरार डालना चाह रही है। अतीत में कांग्रेस सरकार ने धर्मनिरपेक्षता का लबादा ओढ़कर वोट बैंक बनाने के लिए यही अपराध किया था और आज बीजेपी 'हिंदुत्व' के नाम पर फासिस्टों जैसा आदर्श अपनाकर और भी उग्रता के साथ नग्न रूप से, उन्मत्त की तरह उसी प्रकार की जनहित विरोधी साजिश भारत के राष्ट्रीय बुर्जुआ और उनके कारपोरेट घरानों के स्वार्थ में रच रही है। शासक वर्ग और उसकी ताबेदार सरकार के हमले रोकने के लिए देशव्यापी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष आन्दोलन गठित करना ही आज वक्त का तकाजा है। इसके लिए एकता-संघर्ष-एकता के आधार पर एक लड़ाई का मंच गठित करने की जिम्मेदारी ऐतिहासिक तौर पर वामपंथी दलों पर आ गई है।

मार्क्सवाद-लेनिनवाद की शिक्षाओं और आजादी के बाद के 70 साल के तजुर्बों ने हमें साफ दिखा दिया है कि सरकार बदलने से भी शासक बुर्जुआ राज्यसत्ता की नीतियों में कोई फर्क नहीं पड़ता है जिन नीतियों को पर्दे की आड़ से बुर्जुआ वर्ग ही तैयार कर देता है। इसलिए वामपंथी आंदोलन का फर्ज बनता है कि संसद के बाहर आंदोलन निर्मित करने पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाए और इसी रास्ते बुर्जुआ जनतंत्र, जो असल में सर्वहारा वर्ग पर बुर्जुआ वर्ग का अधिनायकत्व है यह दिखाते हुए लोगों को संसदीय जनतंत्र के मोह से मुक्त किया जाए। मार्क्सवाद-लेनिनवाद की महान विचारधारा से लैस होकर शोषणहीन समाज कायम करना ही अंतिम लक्ष्य है।

आपकी पार्टी कांग्रेस की सफलता की कामना करता हूं और ये नारे लगाते हुए अपनी बात खत्म करता हूं।

वाम एकता जिंदाबाद!
मार्क्सवाद-लेनिनवाद जिंदाबाद!
सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद जिंदाबाद!

भवन निर्माण श्रमिकों का जिला सम्मेलन सम्पन्न

हांसी (हरियाणा) : एआईयूटीयूसी से संबद्ध भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन का जिला सम्मेलन टैक्सी स्टैंड स्थित यूनियन भवन में आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता यूनियन के राज्य उपप्रधान कामरेड धर्मवीर सिंह ने की और संचालन जिला सचिव कॉ. मेहर सिंह बांगड़ ने किया।

सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा कि भवन व अन्य निर्माण से जुड़े मजदूरों के कल्याण कोष में करोड़ों रुपये सरकार के पास पड़े हैं, लेकिन मजदूरों को सुविधाओं के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है।

सम्मेलन में भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन के हिसार जिला कमेटी का गठन सर्वसम्मति से किया गया जिसमें सत्यनारायण भाटौल को जिला प्रधान, मेहर सिंह बांगड़ को जिला सचिव, बिशनलाल को उपप्रधान, सलोचना को सह सचिव और संजय को कोषाध्यक्ष चुना गया।

कानपुर में आंगनबाड़ी कर्मियों का जिला सम्मेलन

उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान सार्वजनिक सभाओं में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वायदा किया था कि उनकी सरकार बनने पर आंगनबाड़ी कर्मचारियों की तस्वीर बदल जायेगी। कम से कम वे आंगनबाड़ी कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी कर उत्तराखंड के बराबर कर देंगे। परन्तु खेद की बात है कि राज्य और केन्द्र दोनों की सत्ता में विराजमान भाजपा सरकार ने अपने दावे पूरे नहीं किये। केन्द्र और राज्य सरकार के बजट से जो थोड़ी उम्मीद बची थी, वह भी खत्म हो गयी। ऊपर से आंगनबाड़ी कर्मचारियों पर काम का भारी बोझ लाद दिया गया है। सर्दी, गर्मी या त्योहारों की उन्हें कोई छुट्टी नहीं दी जा रही है। नये आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं खोले जा रहे हैं। रिक्त पदों पर कोई बहाली नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय श्रम संगठन एआईयूटीयूसी से सम्बद्ध आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन की कानपुर जिला इकाई ने पिछले 22 अप्रैल, 2018 को प्रेमलान (कल्याणपुर) में अपना जिला सम्मेलन आयोजित किया।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष कॉ. लता शर्मा ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को अपनी जायज मांगों के लिए संघर्ष के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। संगठन द्वारा कई बार जिला मुख्यालयों पर धरने, प्रदर्शनों व रैलियों के माध्यम से सरकार को मांग पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं। लेकिन अब तक सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। काफी दिनों से मांग करते रहने के बावजूद सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को संगठित होकर ताकतवर आंदोलन निर्मित करने की अपील की। जिला अध्यक्ष कॉ. हीरावती ने सम्मेलन में आयी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि एक कार्यकत्री को कई-कई आंगनबाड़ी केन्द्रों के अतिरिक्त चार्ज थोपे गये हैं। उन्हें अधिकारियों द्वारा तरह-तरह की धमकियां दी जा रही हैं, उनसे बदसलूकी तक की जाती है। ऐसे में अपमान और जिल्लत भरी जिन्दगी के खिलाफ संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है।

इस मौके पर एआईयूटीयूसी के प्रदेश अध्यक्ष कॉ. राजबली ने कहा कि भाजपा की प्रदेश सरकार पूरी तरह से मजदूर विरोधी-जनविरोधी है। भाजपा की राज्य और केन्द्र सरकार पूर्व में कांग्रेस द्वारा लागू की गयी पूंजीपतिपरस्त निजीकरण-विनिवेशीकरण की नीति को केन्द्र और राज्य में आगे बढ़ा रही है। इसके खिलाफ तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। इनके अलावा एआईयूटीयूसी के प्रदेश उपाध्यक्ष कॉ. धर्मदेव तथा एआईयूटीयूसी के राज्य नेता कॉ. लाजरस आदि ने भी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की मांगों पर बल देते हुए उसके लिए ताकतवर आंदोलन निर्मित करने की अपील की।

अंत में सर्वसम्मति से 35 सदस्यीय ताकतवर जिला कमेटी का निर्वाचन किया गया, जिसमें कॉ. हीरावती को अध्यक्ष तथा कॉ. मंजू शर्मा को सचिव चुना गया।

कानपुर : आंगनवाड़ी कर्मियों के जिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए कॉमरेड लता शर्मा

पोल खोल - हल्ला बोल ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

तहत 23 मई को जिला मुख्यालय जौनपुर पर जन एकता, जन अधिकार आंदोलन के बैनर तले पालिटेक्निक चौराहा स्थित कृषि भवन परिसर से एक जुलूस निकाला गया, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचा और वहां पर विरोध सभा में तब्दील हो गया। सभा की अध्यक्षता कॉ. श्रीपति (जिलाध्यक्ष, एआईकेकेएमएस जौनपुर) कॉ. दिलीप कुमार खरवार (जिला अध्यक्ष एआईडीएसओ, जौनपुर), कॉ. राजबहादुर विश्वकर्मा (एआईडीवाईओ), कॉ. नीरज श्रीवास्तव (सीटू), कॉ. बसंतलाल (एआईक्केएस) व कॉ. जयलाल सरोज (एआईकेएस) को लेकर बने अध्यक्षमंडल ने की। संचालन कॉ. मिथिलेश कुमार मौर्य (एआईकेकेएमएस) ने किया। सभा को एआईकेएस से कॉ. अवध नारायण यादव व कॉ. विजय राजभर, (एआईएलयू) से कॉ. इंद्रजीत पाल, एआईडीवाईओ से कॉ. इन्दु कुमार शुक्ला, एआईडीएसओ से कॉ. संतोष प्रजापति, एआईकेकेएमएस से कॉ. प्रवीण कुमार शुक्ला व कॉ. गंगाराम मौर्य ने संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने मोदी सरकार के वादे व नाकामियों को गिनाया और जनविरोधी नीतियों का जमकर विरोध किया। संयुक्त आंदोलन चलाने की जरूरत महसूस करते हुए संकल्प लिया गया कि इस तरह के आंदोलन भविष्य में होते रहेंगे।

उत्तराखण्ड, देहरादून : 23 मई को उत्तराखण्ड के देहरादून में मोदी सरकार के 4 साल के कुशासन की पोल खोल - हल्ला बोल कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न छात्र, युवा, मजदूर संगठनों ने परेड ग्राउंड से सचिवालय तक विरोध रैली निकाली। मोदी सरकार के झूठे वादे, लगातार बढ़ रही महँगाई, बेरोजगारी के खिलाफ आज जन आक्रोश साफ दिखाई दिया। इस कार्यक्रम में एआईडीएसओ भी हिस्सा बना। संगठन की श्रीनगर इकाई अध्यक्ष रेशमा पंवार ने अपने वक्तव्य में शिक्षा के मुद्दों पर बात रखी और सरकार के जनविरोधी कार्यों के खिलाफ संगठित होकर आंदोलन करने की अपील की।

म.प्र. , भोपाल : म.प्र. की राजधानी भोपाल में 50 से भी ज्यादा जनसंगठनों के सयुंक्त मोर्चे-जन एकता, जन अधिकार आंदोलन के बैनर तले 23 मई को मध्यप्रदेश के कोने-कोने से हजारों आंदोलनकारी नीलम पार्क में एकत्रित हुए और मोदी सरकार के 4 साल की जनविरोधी नीतियों का कड़ा विरोध किया ।

गुजरात, अहमदाबाद : एनडीए सरकार के 4 साल के कुशासन के खिलाफ 23 मई को सरदार बाग, अहमदाबाद में सभी बड़े संगठनों द्वारा 'पोल खोल, हल्ला बोल' संयुक्त आंदोलन किया गया। तमिलनाडु के तूतीकोरिन स्थित प्लांट में हुई पुलिस फायरिंग के पीड़ितों के लिए शोक व्यक्त किया गया।

पटना (ऊपर) जौनपुर (नीचे) : प्रदर्शनों में शामिल कार्यकर्ता

तमिलनाडु के तुतिकोरिन में हुई पुलिस फायरिंग के विरोध में एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) ने जगह-जगह किये विरोध प्रदर्शन

पटना : तमिलनाडु के तुतिकोरिन में वेदांता स्टेरलाइट कॉपर यूनिट से फैल रहे प्रदूषण के खिलाफ आम नागरिकों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर बर्बर पुलिस फायरिंग में 2 महिलाओं सहित 12 लोगों की मौत के विरोध में 24 मई, 2018 को एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) पटना जिला कमिटी की ओर से प्रतिवाद मार्च निकाला गया। प्रतिवाद मार्च नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की मूर्ति से भगत सिंह चौक तक हुआ। वहीं सभा की गयी।

सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि वेदांता स्टेरलाइट कॉपर यूनिट का मालिक नियमों और कानूनों की धज्जियां उड़ाकर फैक्ट्री चला रहा है। वहां फैक्ट्री के अपशिष्ट पदार्थ को जमीन के अंदर डंपिंग से जल व भूमि प्रदूषित हो रहे हैं और जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है, जिसे रोकने का कोई उपाय नहीं किया गया है। इससे उस क्षेत्र के निवासी प्रदूषण को रोकने और कंपनी को बंद करने की मांग पर वहां के नागरिक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे जिस पर तमिलनाडु पुलिस ने बर्बर फायरिंग

व लाठीचार्ज किया, जिसके नतीजतन 2 महिलाओं समेत कम से कम 12 लोगों की जान चली गयी। वक्ताओं ने कहा कि इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तमिलनाडु सरकार सहित सभी सरकारें आम जनता की जान की कीमत पर एकाधिकार पूंजीपतियों के हित में एक पैर पर खड़ी हैं। वक्ताओं ने मांग की कि प्रदूषण फैलाने वाले वेदांता स्टेरलाइट कॉपर यूनिट को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाये, दोषी पुलिस अधिकारियों को दृष्टांतमूलक सजा दी जाये, मृतक और घायल लोगों के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाये और प्रदूषण की रोक-थाम के नियमों को कड़ाई से लागू किया जाये ताकि मुनाफाखोर आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ न कर सकें।

सभा को एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) पटना जिला सचिव कॉ. साधना मिश्रा तथा जिला कमिटी सदस्य कॉ. राजकुमार चौधरी ने संबोधित किया, जबकि अध्यक्षता जिला कमिटी सदस्य कॉ. सूर्यकर जितेन्द्र ने की।

ओडिशा, अंगुल : तमिलनाडु के तूतिकोरिन में पुलिस ने गोली चलाकर 12 आंदोलनकारियों की हत्या कर दी। गोलीबारी व बर्बर लाठीचार्ज में अनेकों आंदोलनकारी घायल हो गये। जनता पर हुए इस फासीवादी हमलें के खिलाफ 24 मई को ओड़िशा के अंगुल जिला में एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया।

उत्तरखंड, श्रीनगर-गढ़वाल : तमिलनाडु के तूतिकोरिन में निर्दोष लोगों पर बर्बर पुलिस गोलीबारी के मुद्दे पर एसयूसीआई (सी) उत्तरखंड ने श्रीनगर-गढ़वाल के मुख्य बाजार में एक प्रदर्शन का आयोजन किया। एआईडीएसओ की शहर अध्यक्ष कॉ. रेशमा पंवार और एसयूसीआई (सी) के कॉ. मुकेश सेमवाल और कॉ. भारती जोशी ने सभा में बात रखी।

दिल्ली : तुतुकुड़ी पुलिस फायरिंग के विरोध में 25 मई को प्रदर्शन करते हुए एसयूसीआई(सी) कार्यकर्ता

तुतुकुड़ी पुलिस फायरिंग का 10 वाम दलों ने किया विरोध

हैदराबाद : एआईएडीएमके सरकार द्वारा 22 मई को तमिलनाडु के तुतुकुड़ी (तूतिकोरिन) में पुलिस फायरिंग करवा कर किये गए क्रूर हत्याकाण्ड के खिलाफ एसयूसीआई (सी) की तेलंगाना राज्य सांगठनिक कमेटी की पहल पर, 10 वाम दलों द्वारा 24 मई को एक बड़ा विरोध दर्ज किया गया। तमिलनाडु राज्य सरकार मुर्दाबाद के प्लेकार्ड और पुतला लिये हुए प्रेस क्लब, बशीर बाग में एक बड़ा जुलूस हुआ। इसके बाद वामपंथी दलों के राज्य स्तरीय नेताओं द्वारा पुतला दहन किया गया। एसयूसीआई (सी) की ओर से पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड सीएच मुराहरी ने सभा को संबोधित किया।

पीतल मजदूरों ने दिया धरना

मुरादाबाद में बिजली विभाग द्वारा चेकिंग के नाम पर पीतल मजदूरों के उत्पीड़न के खिलाफ एआईयूटीयूसी से सम्बद्ध पीतल मजदूर यूनियन द्वारा 14 मई को धरना दिया गया।

झारखंड की राज्यपाल महोदया के कार्यालय पर एकदिवसीय धरना

रांची : एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) पार्टी की ओर से 25 अप्रैल को झारखंड की राज्यपाल महोदया के कार्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया गया। एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला। राज्य में हजारों विद्यालयों को बंद करने के प्रस्तावित राज्य सरकार द्वारा जारी उस घोषणापत्र को अविलम्ब वापस लेने, शिक्षकों की कमी अभिलंब दूर करने, शहरी इलाकों में बिजली दरों में 250 % और ग्रामीण क्षेत्रों में 500% की बेतहाशा वृद्धि के प्रस्ताव को अविलंब खारिज करने, राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने, छात्र-विरोधी व शिक्षा-विरोधी सेमेस्टर प्रणाली रद्द करने, महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करने, सभी वृद्ध-वृद्धाओं व विधवाओं को पेंशन का लाभ देने, खेती की दुर्दशा को देखते हुए किसानों का केसीसी लोन माफ करने, राज्य में गहराते गंभीर पेयजल संकट को देखते हुए अविलंब युद्धस्तर पर जल उपलब्ध कराने की आधारभूत संरचना तैयार करने और 'अतिक्रमण हटाओ अभियान' के नाम पर बस्तियां उजाड़ना बंद करने आदि मांगें की गई।

मोदी सरकार के खिलाफ वाम दलों के जन संगठनों ने किया कार्यक्रम

6 वाम दलों द्वारा अखिल भारतीय पहल पर गठित जन एकता जन अधिकार आन्दोलन की तर्ज पर तमिलनाडु में, तमिलनाडु पीपुल्स प्लेटफॉर्म (टीएमएम) नामक जन मंच का गठन चार वामपंथी दलों के जनसंगठनों द्वारा किया गया। 23 मई टीएमएम द्वारा केंद्र की मोदी सरकार की पोल खोलने के लिए एक कार्यक्रम की योजना बनाई गई। कई जगहों पर इस विरोध को तूतुकुडी में स्टरलोइट प्लांट के खिलाफ प्रदर्शनकारियों की गोली मार कर की गई हत्याओं के विरोध में चेन्नई, मदुरै, थेनी, विल्लुपुरम, कुड्डालोर, पुदुकोट्टाई, शिवकाशी, करूर और ईरोड में विरोध प्रदर्शन किये गए।

सरसों की सरकारी खरीद की मांग को लेकर किसानों ने सौंपा ज्ञापन

भिवानी (तोशाम) : ऑल इण्डिया किसान खेत मजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस) के जिला सचिव कॉ. रोहतास सिंह सैनी के नेतत्व में 14 मई को यहां एसडीएम, तोशाम कार्यालय पर धरना दिया गया और अपनी मांगों का ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा गया।

ज्ञापन में ये मांगें की गई : बिकी हुई सरसों की बकाया राशि का भुगतान तुरंत किया जाए। सरसों की खरीद तुरंत चालू की जाए और पूरी की पूरी सरसों खरीदी जाए। भ्रष्टाचार व तौल में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। फसलों के लागत खर्च से डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देना सुनिश्चित किया जाए।

कॉ. रोहतास सिंह सैनी ने कहा कि तोशाम अनाज मण्डी में सरसों की सरकारी खरीद बंद कर दी गई है जबकि विभिन्न गांवों के बहुत सारे किसानों के पास अभी भी काफी सरसों बची हुई है लेकिन मण्डी में उसे खरीदने वाला कोई नहीं है। रोस्टर के मुताबिक कुछ गांवों के फार्म जमा होने पर भी उनकी बारी नहीं आई। जिनकी एक बार बारी आई फिर दोबारा नहीं आई। इसलिए वे केवल 25 क्विंटल सरसों ही बेच पाये और बाकी उनके पास रखी है। सरसों की सरकारी खरीद सम्बन्धी लगाई गयी नाजायज व अनाप-शनाप शर्तों से किसान पहले ही दुखी थे। बहुत सारे किसानों की बिकी हुई सरसों की बकाया बिक्री राशि का भुगतान भी अभी तक

नहीं किया गया है। उन्हें फसल का लागत मूल्य तक नहीं मिल रहा है। उन्हें औने-पौने दामों पर अपनी फसल व्यापारियों को बेचनी पड़ रही है। सरसों की खरीद बंद हो जाने, अनाप-शनाप शर्तों व सरकारी नियमों के थोपे जाने, सरकारी खरीद में कुप्रबन्ध व भ्रष्टाचार के साथ-साथ तुलाई में गड़बड़ी कर उन्हें लूटे जाने और सरसों की बिक्री राशि का समय पर भुगतान न किये जाने से किसानों में भारी रोष व्याप्त है।

किसान नेता कॉ. रोहतास सिंह सैनी ने किसानों का आह्वान किया कि संगठित होकर बीजपी सरकार की किसान-विरोधी नीतियों के खिलाफ आन्दोलन तेज करें। धरने को एसयूसीआई(सी) के जिला सचिव कॉ. रामफल ने भी संबोधित किया।

ज्ञापन देने वालों में कॉ. सुखबीर सिंह ढाणी माहू, कॉ. नरसिंह बागनआला, कॉ. रामनिवास आलमपुर, कॉ. तेलूराम खरकड़ी सोहान, कॉ. नत्थूराम धारण, फूलसिंह व कॉ. वजीर दुल्हेड़ी आदि भी शामिल थे।

सड़कों पर उतरी मिड-डे मील कार्यकर्ता

सोनीपत : एआईयूटीयूसी से सम्बद्ध मिड-डे मील कार्यकर्ता यूनियन हरियाणा की ओर से 22 अप्रैल को सोनीपत में अपनी मांगों को लेकर शहर में प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन किया गया। साथ ही कैबिनैट मंत्री कविता जैन के निवास पर एक विशाल प्रदर्शन किया गया। इससे पहले मिड-डे मील कार्यकर्ता सोनीपत बस अड्डा के पास स्थित अम्बेडकर पार्क में इकट्ठा हुईं। प्रदेश भर से आई मिड-डे मील कार्यकर्ताओं ने अपना हक मांगा और प्रदर्शन करते हुए सेक्टर 15 स्थित महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन के आवास पर पहुंची।

प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व मिड-डे मील कार्यकर्ता यूनियन हरियाणा की प्रधान पुष्पा देवी, महासचिव ओमवती, एआईयूटीयूसी के राज्य सचिव कॉमरेड हरिप्रकाश व राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड राजेन्द्र सिंह एडवोकेट ने किया। यूनियन की प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी ने कहा कि मिड-डे मील कुक को मात्र 2500 रुपये मासिक मानदेय दिया जा रहा है। जबकि किसी मजदूर को कहीं शादी-विवाह में खाना बनाने के लिए 400 से 500 रुपये दैनिक दिहाड़ी-मजदूरी देनी पड़ती है। मिड-डे मील कुक को बीमारी में न अवकाश है, न मातृत्व लाभ मिलता है। पूरे साल भर काम करने पर भी छुटियों का पैसा काट लिया जाता है। सरकार उन्हें 45वें श्रम सम्मेलन के अनुसार न्यूनतम वेतन नही दे रही है। कॉ. राजेन्द्र सिंह एडवोकेट ने कहा कि सरकार ने कुछ दिन पहले मात्र एक हजार रुपये बढ़ाने की घोषणा की थी लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। आज बढ़ती हुई महंगाई के कारण इतने मानदेय में गुजारा करना कितना कठिन हो गया है। मिड-डे मील कार्यकर्ताओं की मांगों पर ध्यान न देने की वजह से मिड-डे मील कार्यकर्ताओं में रोष है। श्रीमती ओमवती ने कहा कि जब तक उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता तब तक उनका आन्दोलन जारी रहेगा। ज्ञापन में मिड-डे मील कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, न्यूनतम वेतन 18,000 रु. देने, नौकरी की आयु सीमा 65 साल करने, साल में दो वर्दियां देने, रिटार्यड होने पर हर महीने कम से कम 5000 रुपये पेन्शन देने आदि की मांगें शामिल थीं।

इस अवसर पर एआईयूटीयूसी, सोनीपत जिला कमेटी के सदस्य कॉ. रामकरण, कॉ. बलबीर, कॉ. इन्द्र सिंह, शिक्षक नेता बिजेन्द्र मलिक, मिड-डे मील कार्यकर्ता यूनियन हरियाणा की श्रीमती कुसुम, श्रीमती पूनम, श्रीमती राजबाला, श्रीमती मीरा, श्रीमती मंजू आदि भी मौजूद रहे।

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2018-2020
Posting at New Delhi PSO on 7–8 and 22–23 Fortnightly

टैक्स घटा कर पेट्रोल–डीजल सस्ता करने की एसयूसीआई(सी) ने उठाई मांग

गुड़गाँव : 31 मई को एसयूसीआई(सी) की जिला गुडगाँव ईकाई के द्वारा डीजल–पेट्रोल की दरों में की जा रही बेतहाशा बढ़ोतरी के विरोध में शहर में रोष प्रदर्शन किया गया एवं केंद्र की भाजपा की मोदी सरकार का पुतला भी जलाया गया। प्रदर्शनकारी शहर के मुख्य डाकखाना चौक पर एकत्रित हुए। इसके बाद पार्टी के जिला सचिव कॉ. सरवन कुमार के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन मुख्य सदर बाजार से शुरू होकर सोहना चौक तक गया और वहां पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया।

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कॉमरेड सरवन कुमार ने कहा कि डीजल–पेट्रोल की दरों में बढ़ोतरी से जहाँ तेल उपभोक्ताओं पर मार पड़ रही है, वहीं इससे महंगाई भी बढ़ेगी और जनसाधारण का जीना दूभर हो जाएगा। पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड आयल के दामों में गिरावट आई है, किन्तु सरकारों द्वारा एक्साइज ड्यूटी, टैक्स व वैट लगाकर इसको महँगा किया गया है। एक कर प्रणाली जीएसटी को विकास में एक महत्त्वपूर्ण कदम बताने वाली भाजपा सरकार डीजल व पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में ले आये, तो एक झटके में ही डीजल–पेट्रोल सस्ता हो सकता है। सस्ता डीजल–पेट्रोल का वादा करने वाली भाजपा सरकारें व तेल कंपनियां देश की जनता को लूट रही हैं। एसयूसीआई(सी) नेताओं ने जनता से अपील की कि इस वृद्धि के खिलाफ जोरदार जनांदोलन गठित करे।

एआईयूटीयूसी के जिला सचिव कॉमरेड रामकुमार व जिला कमेटी के सदस्य कॉ. वजीर सिंह ने भी सभा को संबोधित किया।

म.प्र., भोपाल : पेट्रोल डीजल की निरंतर मूल्य वृद्धि के खिलाफ 28 मई को पार्टी ने भोपाल में पिपलानी चौराहे पर प्रदर्शन किया और तेल सस्ता करने की मांग की।

प्रदर्शन को भेल लेबर यूनियन के कार्यवाहक अध्यक्ष कॉमरेड अमृतलाल गुप्ता, पार्टी की जिला कमिटी सदस्य कॉमरेड जॉली सरकार व भोपाल जिला सचिव कॉमरेड जे. सी. बरई ने संबोधित किया। प्रदर्शन का संचालन पार्टी के जिला कमेटी सदस्य कॉमरेड विनोद लोगारिया ने किया।

भाजपा के शासन में न्यायपालिका खतरे में ...

(पृष्ठ 3 का शेष)

से इस मामले में कुछ दिनों जेल में रहे। 2013 में जमानत पर रिहा होने पर बंजारा ने एक पत्र में इस हत्या में भाजपा के 'ऊंचे महकमे' की संलिप्तता की बात कही। 2012 में उच्चतम न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई अंत तक एक ही न्यायाधीश से करवाने का निर्देश दिया था। लेकिन 2014 में भाजपा केन्द्र की सत्ता में बैठकर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने लगी। सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश जे. एस. उटपट द्वारा अमित शाह को व्यक्तिगत हाजिरी से छूट देने से मना करने पर भाजपा सरकार ने उनका जल्द ही तबादला कर दिया था। अब यह जिम्मेवारी मिली न्यायाधीश बी. एच. लोया को। सम्मन मिलने के बावजूद जब अमित शाह न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हुए, तो उन्होंने अमित शाह के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की और उन्हें मामले की अगली तारीख पर निश्चित तौर पर हाजिर होने का निर्देश दिया। इसके कुछ ही दिनों के अंदर नागपुर में एक वैवाहिक कार्यक्रम में लोया की आकस्मिक मौत हो गयी। न्यायाधीश लोया के बाद के न्यायाधीश ने इस मामले के सौंपे जाने के 20 दिनों के भीतर अमित शाह को बरी कर दिया।

न्यायपालिका को अपनी मुट्ठी में करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की बहाली की प्रक्रिया को अपने हाथ में रखने के लिए भाजपा सरकार ने अगस्त 2014 में संसद में एक विधेयक पेश किया। अक्तूबर ने 2015 में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ उसे गैर संवैधानिक बताते हुए अपना फैसला दिया। इसलिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों को लेकर गठित कॉलेजियम के पास ही न्यायाधीशों की बहाली का अधिकार रह गया। लेकिन उच्चतम न्यायालय में सरकार जो फेरबदल कर रही है, इसका आभास अक्तूबर 2017 में आर. पी. लूथरा बनाम भारत सरकार के मामले में मिला। इस मामले में न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल और न्यायाधीश उदय उमेश ने कहा था कि न्यायाधीशों की बहाली के लिए गठित कॉलेजियम किस पैमाने (मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर) के आधार पर काम करेगा, इसे तय करने में विलम्ब नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अटार्नी जनरल को न्यायालय में आकर सरकार का पक्ष रखने को कहा था। लेकिन इस मामले के चलने के दौरान ही प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने अपने साथ और दो न्यायाधीशों को लेकर एक पीठ का गठन कर दोनों न्यायाधीशों की राय को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि यह न्यायालय का मामला ही नहीं है। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि यह न्यायालय का मामला क्यों नहीं है। चार वरिष्ठ न्यायाधीशों ने 12 जनवरी को अपने पत्रकार सम्मेलन में कहा था कि मुख्य न्यायाधीश का फैसला दरअसल न्यायपालिका पर सरकार के गैर लोकतांत्रिक तानाशाही हस्तक्षेप को ही बढ़ाएगा। यह बात आज सच साबित हो रही है।

आज दुनिया के तमाम पूंजीवादी देशों में न्यायपालिका में गिरावट देखी जा रही है। सत्ताधारी पार्टी, समाज के मुट्ठीभर दबंग लोग तथा बड़े पूंजीपतियों के हित में आम लोगों के स्वार्थ को तिलांजली देने का रुझान भारत की न्यायपालिका में खतरनाक ढंग से बढ़ रहा है। कांग्रेसी जमाने में भी न्यायपालिका को सरकार के आदेशपाल में तब्दील करने की कोशिश हमेशा से हुई है। कांग्रेस नेता इन्दिरा गांधी ने 'प्रतिबद्ध न्यायपालिका' (Committed Judiciary) शब्द का इजाद किया था। यानी न्यायपालिका की डोर दिल्ली के साउथ ब्लॉक के हुक्मरानों के हाथों में होगी। सारी सरकारों ने न्यायपालिका को इसी तरह अपने काबू में रखना चाहा है। लेकिन भाजपा के जमाने में इसमें और इजाफा हुआ है।

इस बीच मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ सात विपक्षी पार्टियों द्वारा लाये गये महाअभियोग नोटिस को भाजपा के प्रमुख नेता तथा उपराष्ट्रपति वैंकैया नायडू ने खारिज कर दिया है। यानी इसे लेकर जनवादी तरीके से चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं रही। देश के लोगों के लिए न्यायपालिका की यह गिरावट काफी चिंता का विषय है। चार बागी न्यायाधीशों के पत्रकार सम्मेलन के बाद प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ कुछ पुराने आरोप सामने आये। आरोप है कि जब वे अधिवक्ता थे, तो साक्ष्यों की हेराफेरी कर उन्होंने सरकार द्वारा भूमिहीनों के लिए आवंटित जमीन को हड़प लिया था। बाद में कटक के जिलाधिकारी ने आवेदन पत्र में इस हेराफेरी को पकड़ लिया और जमीन का आवंटन रद्द कर दिया। सीबीआई जांच में भी इस मामले का खुलासा हुआ। अरूणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कालिखो पुल के सुसाइड नोट में भी उनके नाम का जिक्र था। हालांकि इसकी कोई जांच नहीं हुई। सितम्बर 2017 में लखनऊ के प्रसाद इंस्टिच्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सहित 46 संस्थानों के अनैतिक कार्यों के खिलाफ मामले में ओडिशा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश आई. एम. कुद्दूसी को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के बीच में ही अचानक दूसरे न्यायाधीशों से छीनकर इस मामले को प्रधान न्यायाधीश की पीठ में ले जाया गया।

प्रख्यात अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश जब ओडिशा उच्च न्यायालय में सेवारत थे, तब वे इस मामले की सुनवाई में शामिल थे। इसलिए उच्चतम न्यायालय में उन्हें इस मामले की सुनवाई से अलग रहना चाहिए था। परिस्थिति इतनी नाजुक हो गयी कि अधिवक्ता प्रशांत भूषण को सुरक्षाकर्मियों द्वारा न्यायालय से बाहर कर दिया गया। हाल ही में सीबीआई को मिले एक फोन रिकार्ड के सार्वजनिक होते ही मेडिकल कॉलेज के आरोपी अधिकारियों ने कुद्दुसी तथा एक दलाल के साथ बात की कि मेडिकल कॉलेज के मामले को 'मैनेज' करने के लिए इलाहाबाद, कटक और दिल्ली के किन–किन मंदिरों में 'प्रसाद' चढ़ाने होंगे। स्वाभाविक तौर पर इन घटनाओं से बड़े पैमाने पर न्यायपालिका की निष्पक्ष और न्यायपरायण छवि धूमिल हो रही है।

इस देश के बुर्जुआ राज्य की प्रमुख रक्षक न्यायपालिका की तथाकथित पवित्रता का नकाब उतर चुका है। वह अपने असली रूप में बेआबरू होकर खड़ी है। ऐसा तो होना ही था। जब सम्पूर्ण व्यवस्था सड़–गलकर मौत के कगार पर है, तब उस व्यवस्था की एक प्रमुख स्तंभ न्यायपालिका कलंकित हुए बिना नहीं रह सकती। इस परिस्थिति में जनता को अपने कानूनी, संवैधानिक अधिकारों की हिफाजत के लिए जनवादी आंदोलन का रास्ता ही अपनाना होगा। ●

सीरिया पर हमले के विरोध में ट्रंप का पुतला फूंका

बोकारो : 14 अप्रैल को एसयूसीआई(सी) बोकारो द्वारा गृहयुद्ध में फंसे सीरिया पर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन द्वारा किए गए मिसाइल हमले की कार्यवाही के विरोध में बिरसा चौक, नया मोड़ पर प्रतिवाद सभा की गई और पुतला दहन किया गया। सभा की अध्यक्षता कॉमरेड डी.पी.चौरसिया ने की।

सभा को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता पार्टी के बोकारो जिला सचिव कॉमरेड आर. एस. शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा सीरिया पर किये गए मिसाइल हमले से सीरिया की संप्रभुता और विश्व शांति पर चोट की गई है। यह घोर अमानवीय कार्यवाही है। ऐसे मिसाइल हमलों में और पिछले डेढ़ दशक से चल रहे ऐसे संघर्षों में सीरिया सहित मध्य–पूर्व के देशों में लाखों लोग जान गवां चुके हैं, लाखों परिवार विस्थापन का दंश झेल रहे हैं और उन देशों के नागरिक, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं अभावग्रस्त जीवन जीने को मजबूर हैं। ऐसी स्थिति में सीरिया व उसके पड़ोसी देशों में शांति कायम करने के प्रयास को नकार कर सीरिया पर मिसाइल हमला घोर मानवता–विरोधी कार्रवाई है। हमारी पार्टी प्रतिवाद सभा व पुतला दहन के माध्यम से भारत और दुनिया के तमाम शांतिप्रेमी, संप्रभुता–पसन्द और मानव रक्षा को सर्वोपरि महत्व देने वाले लोगों का आह्वान करती है कि वे अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन की युद्ध प्रेरक कार्यवाही का एकजुट होकर प्रतिवाद करें ताकि विश्व शांति और मानवता की रक्षा सुनिश्चित हो सके। कार्यक्रम के अंत में पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ। नारों के साथ सभा की समाप्ति हुई।

बिहार में मिड-डे मील कर्मी आंदोलन की राह पर

पटना : यहां गत दिनों एआईयूटीयूसी, सीटू तथा एटक से सम्बद्ध मिड–डे मील कर्मियों की यूनियनों द्वारा संयुक्त रूप से बिहार के मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर 'घेरा डालो, डेरा कार्यक्रम आयोजित किया गया।

वहां प्रदर्शनकारी मिड–डे मील कर्मियों को एआईयूटीयूसी की ऑल इण्डिया कार्यकारिणी के सदस्य कॉमरेड विमल जाना ने संबोधित किया।

हिन्दुत्ववादियों के डर से गुजरात के दलित धर्म परिवर्तन कर जीना चाहते हैं

29 अप्रैल, 2018 को 300 से ज्यादा दलितों ने हिन्दू धर्म का त्यागकर बौद्ध धर्म अपना लिया। ये सभी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गृह राज्य गुजरात के हैं। इनमें 45 लोग उना शहर के एक ही परिवार के हैं। जुलाई 2016 में भाजपा की गोरक्षा वाहिनी ने इस परिवार के चार युवकों को पीटकर अर्द्धनग्न हालत में एक जीप के सामने बांधकर दिन के उजाले में सड़कों पर घुमाया था। देश भर में हुए तीव्र विरोध के दबाव में गुजरात की तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने इसके खिलाफ कार्रवाई करने का वादा किया था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तभी तो अपराधियों के पौ बारह हैं। जमानत पर रिहा होने के बाद वे पहले की तरह दलितों को धमकियां देते फिर रहे हैं। दलित अत्याचार निवारण के लिए जो कानून थे, इस बीच उसे भी उच्चतम न्यायालय ने महत्वहीन कर दिया है। इसके खिलाफ दलितों द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया, जिसमें भाजपा सरकार की पुलिस द्वारा किये गये हमले में 9 दलितों की मौत हो गयी। इस स्थिति में काफी दुख, अपमान और असुरक्षा की आशंका में 300 से ज्यादा दलितों ने हिन्दू धर्म छोड़ने का फैसला किया। यहां धर्मांतरण गौण है, मुख्य है मौत का डर।

जबरन धर्मांतरण का आरोप भाजपा हमेशा से लगाती रही है। लेकिन इस बार दलितों ने अपनी मर्जी से बौद्ध धर्म अपनाने का फॉर्म भरकर जिलाधिकारी के कार्यालय में जमा दिया, ताकि भाजपा जबरन धर्मांतरण का आरोप न लगा सके। उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा कि यह धर्म परिवर्तन दलितों के अपमान के विरोध में है। यानी दलितों के लिए यह धर्मांतरण दरअसल विरोध आंदोलन का ही एक रूप है।

यह सच है कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद दलितों पर जुल्म काफी बढ़े हैं। भाजपा की हिन्दुत्ववादी राजनीति जितना उग्र रूप धारण कर रही है, उतना ही हिन्दू समाज की वर्ण व्यवस्था के सबसे निचले पायदान के इन लोगों पर हमले बढ़ रहे हैं। साथ ही मुसलमानों पर भी हमले बढ़ रहे हैं।

भाजपा हिन्दुओं की हिफाजत का जो शोर मचाती है, वे कौन हिन्दू हैं? हिन्दू समाज का सबसे निर्धन, वंचित और उत्पीड़ित जो तबका 'शूद्र' नाम से जाना जाता है–जिसका जागरण स्वामी विवेकानंद देखना चाहते थे–भाजपा शासन में पूरी तरह से असुरक्षित है और जिल्लत का शिकार होकर हिन्दू धर्म त्यागकर जीना चाहता है। क्या यही भाजपा का हिन्दुओं की हित रक्षा का नमूना है? या कि यह हिन्दू धर्म की बेइज्जती है? क्या यह धार्मिक आचरण जनता के हित में है? या यह हिन्दू धर्म का लबादा ओढ़कर धार्मिक जज्बातों का इस्तेमाल करते हुए बहुसंख्यक हिन्दुओं के वोटों पर कब्जा करने की साजिश है?

हिन्दू समाज की वर्णव्यवस्था–ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र–की उत्पत्ति अतीत में जिन वजहों से क्यों न हुई हो, आज उसकी कोई खास उपयोगिता नहीं है। यह वर्ण विषमता युगों-युगों से वर्ण विद्वेष पैदाकर निम्न वर्ण के हिन्दुओं पर उच्च वर्ण का अत्याचार जारी रखे हुए है। इस सवर्ण ब्राह्मणवादी अत्याचार से छुटकारा पाने के लिए निम्न वर्ण के लोगों का एक बड़ा तबका मुसलमान बन गया था, जिसका जिक्र विवेकानंद सहित अन्य इतिहासकारों की रचनाओं में मिलता है। आगे चलकर एक बड़े तबके ने डा. भीमराव अम्बेडकर की अगुवाई में बौद्ध धर्म अपनाया था। यह प्रक्रिया आज भी जारी है।

लेकिन क्या धर्मांतरण से इस समस्या का हल संभव है? क्या दलितों के बीच से रामनाथ कोविन्द की तरह कोई राष्ट्रपति बन जाने से ही समाज में दलितों की इज्जत हो जायेगी? दलित जनता के आंदोलन का इस्तेमाल कर दलितों में जो लोग पूंजीपति बन बैठे हैं, करोड़पति बन बैठे हैं, वे या उनकी पार्टियां किसी-किसी राज्य में चुनाव में बहुमत हासिल कर सरकार तो बना सकती हैं, लेकिन इससे पूंजीवादी आर्थिक शोषण से गरीब दलितों की मुक्ति नहीं होगी। दलित सिर्फ सामाजिक तौर पर ही दलित नहीं हैं, कुछ करोड़पति दलितों को यदि छोड़ दिया जाये, तो इनका बड़ा तबका जनता के अन्य तबके के लोगों की तरह ही आर्थिक तौर पर शोषित है और केन्द्र तथा राज्य सरकार के जनविरोधी शासन में समान रूप से वंचित है। पूंजीपति वर्ग के आर्थिक शोषण और सरकार की जनविरोधी कारगुजारियों के खिलाफ दलित-गैर दलित का लिहाज किये बगैर हर तबके के शोषित-पीड़ित लोगों को शामिल कर जन आंदोलन निर्मित कर पाने पर वह आंदोलन उनमें एक नये व उन्नत विचार या चेतना को जन्म देगा। वह आंदोलन उनमें एकता व एकजुटता पैदा करेगा तथा भेदभावों को भुलाने में मदद करेगा। इस रास्ते सामाजिक भेदभावों को काफी हद तक खत्म करना संभव है। धर्मांतरण के जरिये ऐसा संभव नहीं है। समान इज्जत या बराबरी की जिस चाहत को लेकर दलितों ने बौद्ध धर्म अपनाया है, निश्चित तौर पर वे महसूस करेंगे कि बौद्ध धर्मावलम्बी भी अमीर और गरीब में बंटे हुए हैं। धर्म जितना भी बराबरी की बात क्यों न करे, बौद्ध पूंजीपतियों के शोषण से गरीब बौद्ध तबाह हैं। पूंजीवादी व्यवस्था का खात्मा कर आर्थिक बराबरी स्थापित करने के सिवाय वास्तव में सामाजिक बराबरी भी संभव नहीं है। सही कम्युनिस्ट इस बराबरी की बुनियाद तैयार करने के संघर्ष में लगे हुए हैं। अतएव साम्यवाद ही दलितों की मुक्ति का सही रास्ता है।

कॉमरेड जीएस पद्मकुमार लाल सलाम

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) पार्टी के राज्य के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक, राज्य कमेटी के सदस्य और कोल्लम के जिला सचिव कॉमरेड जीएस पद्मकुमार अचानक अस्पताल में 28 अप्रैल को गुजर गए। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। वे 56 साल के थे।

कॉमरेड जीएस पद्मकुमार 1978 में हमारी पार्टी में शामिल हुए थे। उस समय वे 17 साल के थे। उन्होंने तिरुवनंतपुरम जिले में पार्टी का काम करना शुरू किया। बाद में उन्हें एर्नाकुलम जिले में पार्टी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। अपनी जबरदस्त काबिलियत और उन्नत सांस्कृतिक स्तर के साथ उन्होंने वहां पार्टी संगठन बनाने के लिए दिन-रात कड़ी मेहनत की। अच्छी-खासी संख्या में कार्यकर्ता तैयार करते हुए वे उस जिले में पार्टी संगठन बनाने में कामयाब हुए। 1988 में वे राज्य कमेटी के सदस्य बने। एर्नाकुलम जिले के साथ-साथ उन्हें त्रिचुर जिले में भी पार्टी संगठन बनाने के लिए डिप्यूट किया गया। फिर पलक्कड जिले और मलप्पुरम जिले में तैनात किया गया। इन सब जिलों में वे पार्टी संगठन बनाने में कामयाब हुए। उनके हमसे बिछुड़ जाने के समय वे कोल्लम जिला सचिव और राज्य सचिवमण्डल के सदस्य थे।

सतत संघर्ष के जरिये उन्होंने मार्क्सवाद-लेनिनवाद और कॉमरेड शिवदास घोष चिंतन की सराहनीय समझदारी हासिल कर ली थी। दरअसल वे तिरुवनंतपुरम जिले के उन चंद कॉमरेडों में से थे जो सर्वहारा के महान नेता कॉमरेड शिवदास घोष द्वारा भारत में प्रतिपादित पेशेवर क्रान्तिकारी की अवधारणा को आत्मसात कर पाये थे और उन्होंने साधारण जीवन तज दिया था और मजदूर वर्ग के हित और इसकी पार्टी एसयूसीआई(सी) के हित के लिए अपना व्यक्तिगत सब कुद समर्पित करने की कोशिश करते हुए कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी जीवन जीना शुरू कर दिया था। इस तरह उनका जीवन ही उदाहरणीय बन गया, उन्ही के जीवन जैसा जीवन अपनाने के लिए काफी सारे कॉमरेडों के लिए प्रेरणादायक बन गया। उन्होंने पार्टी हित को सर्वोपरि रखते हुए एक संघर्षशील भावना के साथ अपने व्यक्तिगत जीवन और उन तमाम सवालों जिनसे उनका पाला पड़ा था, एक सुर में बांध लिया था। एक बार जब उन्होंने खुद को क्रान्तिकारी ध्येय के लिए समर्पित करने का फैसला कर लिया, फिर पीछे कदम नहीं हटाये; इस प्रकार वे अपनी आखरी सांस तक एक सन्तुष्ट क्रान्तिकारी का जीवन जीने में कामयाब रहे। पार्टी के प्रति उनका पूरा समर्पण था। वे हर पहलू से पार्टी के प्रति वफादार थे। उन्होंने कम्युनिस्ट आचरण विधि का कड़ाई से पालन किया और दूसरों से भी तत्परता के साथ इसका ऐसा पालन करवाया।

उन्होंने केरल के सैकड़ों कॉमरेडों के लिए बहुत सारी चर्चाएं, क्लासें और स्टडी सर्कल किये। पार्टी के बहुत सारे राज्य स्तरीय स्टडी कैम्पों में वे एक वक्ता हुआ करते थे। अध्ययन करने की उनकी आदत सभी कॉमरेडों के लिए एक अच्छी मिसाल के रूप में ली जा सकती है। साहित्य, इतिहास, दर्शन से लेकर विज्ञान तक उनके विस्तृत अध्ययन ने उनको इन सब क्षेत्रों में असाधारण विद्वान बना दिया था। केरल में इन क्षेत्रों की जिन जानी-मानी हस्तियों को, उनकी बात सुनने का मौका मिला, उन्होंने उनको एक अच्छे शिक्षक के रूप में मान्यता दी और मान-सम्मान दिया। पार्टी की राज्य कमेटी ने उनको कई पुस्तकें लिखने और अनुवाद करने की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने विज्ञान, वैज्ञानिकों और इतिहास पर कई पुस्तकें लिखी और दूसरों को लिखने में मदद की।

वे ब्रेकथ्रू साइंस सोसाइटी के अध्यक्ष थे। उनके प्रत्यक्ष नेतृत्व में सांस्कृतिक फ्रंट 'बैनर' ने प्रभावशाली ढंग से काम किया। वे मलयालम में पाक्षिक प्रकाशित होने वाली सांस्कृतिक पत्रिका 'बैनर' के संपादक थे। पार्टी की राज्य कमेटी के मार्गदर्शन में कॉमरेड जीएस पद्मकुमार के नेतृत्व में केरल के इतिहास का एक विशिष्ट अध्ययन किया गया। इस अध्ययन को बुद्धिजीवियों के साथ-साथ आम लोगों से भी बहुत अच्छा प्रत्युतर मिला।

कॉ. जीएस पद्मकुमार के निधन से पार्टी ने एक कर्मठ संगठनकर्ता व नेता बहुत ही असमय खो दिया है और इस अपूर्णीय क्षति से पार पाने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी।

कॉ. जीएस पद्मकुमार को लाल सलाम करते हुए पार्टी के राज्य सचिव कॉ. सी.के. लुकोस

सरकार की वादाखिलाफी व सीनाजोरी का विरोध

रोहतक : कंप्यूटर टीचरों और लैब सहायकों पर हुए लाठीचार्ज की एआईयूटीयूसी के प्रदेश प्रधान कॉमरेड सत्यवान ने 28 मई को जारी एक बयान में कड़ी निंदा की। कंप्यूटर टीचर और लैब सहायक मुख्यमंत्री से हुए समझौते को लागू कराने के लिए 28 मई को पंचकूला में जुलूस कर रहे थे। वे मांग कर रहे थे कि दिसंबर 2017 में प्रदेश कंप्यूटर टीचरों के साथ हुई बातचीत के बाद जो घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी, उसे लागू किया जाए। 5 माह बीत जाने पर भी मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत और घोषित मांगों को लागू नहीं किया गया है।

कॉ. सत्यवान ने कहा कि हरियाणा सरकार की यह सरासर ज्यादती है। पुलिस द्वारा वाटर कैनन का इस्तेमाल और लाठीचार्ज करना सरकार को महंगा पड़ेगा। न्याय का तकाजा है कि दिसंबर माह में जो घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी, उसे तत्काल लागू किया जाए और लाठीचार्ज की जांच कराकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

किसानों की फसलों का लाभकारी मूल्य और कर्जामाफी की मांग पर
साझा सम्मेलन आयोजित

भोपाल: अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा भोपाल के गाँधी भवन में 'किसान ऋण मुक्ति बिल' और 'किसान की उपज का लाभकारी मूल्य गारंटी बिल' पर चर्चा करने के लिए साझा सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन को एआईकेकेएमएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड सत्यवान के अलावा समन्वय समिति के राष्ट्रीय नेता योगेन्द्र यादव, सांसद राजू शेट्टी, वी. एम. सिंह, डॉ. सुनीलम, जसविंदर सिंह आदि ने भी सम्बोधित किया।

तुतुकुड़ी स्टेरलाइट संयंत्र का विरोध

(पृष्ठ 1 का शेष)

गैस, और अंत में घातक गोलीबारी से किया गया। जले पर नमक छिड़कने के लिए मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के अन्य मंत्रियों और पुलिस के आला अफसरों ने यह कह कर इस फायरिंग को उचित ठहराया कि इस कानून-व्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं था।। यह गहरी चिंता का मामला है कि लोगों के विरोध को संभालने में इस तरह की धींगामस्ती तमिलनाडु में बढ़ती जा रही खतरनाक प्रवृत्ति है।

एसयूसीआई (सी) ने 23 मई को जारी बयान में पुलिस फायरिंग के शिकार हुए लोगों के प्रति तहेदिल से अपनी शोक-संवेदना व्यक्त की। पार्टी ने मृतकों और घायलों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा देने की मांग की।

साथ ही, इसने निर्दोष लोगों पर सरकार और पुलिस द्वारा किये गए इस कुकर्म की निंदा की। विरोध की आवाज और प्रतिवाद के खिलाफ सरकार की इस जनविरोधी फासीवादी प्रवृत्ति का प्रतिरोध होना चाहिए।

इस घटना की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया जाना चाहिए और प्रदर्शनकारियों पर लाठी-गोली चलाने के दोषियों और हमलावरों को अनुकरणीय सजा दी जानी चाहिए।

खतरनाक स्टरलाइट संयंत्र से प्रभावित लोगों के पक्ष में एसयूसीआई (सी) ने सभी लोकतांत्रिक विचार वाले लोगों और राजनीतिक ताकतों के आ खड़े होने और इसे स्थायी रूप से बंद करने के लिए सरकार को मजबूर कर देने के लिए एक शक्तिशाली विरोध आंदोलन का निर्माण करने का आह्वान किया।

'लेनिन और भारत' विषय पर संयुक्त गोष्ठी आयोजित

इलाहाबाद : सर्वहारा के महान नेता कॉमरेड लेनिन की जयंती की पूर्वसंध्या पर 21 अप्रैल को यहां वामपंथी पार्टियों की ओर से 'लेनिन और भारत' विषय पर आयोजित संयुक्त गोष्ठी में एसयूसीआई (सी) की ओर से कॉमरेड सुधांशु कुमार मालवीय व अन्य विभिन्न वामपंथी पार्टियों के नेताओं ने अपनी बात रखी। गोष्ठी की अध्यक्षता सीपीआई के कॉ. गिरधर गोपाल ने की। गोष्ठी का संचालन एसयूसीआई (सी) के कॉमरेड राजवेन्द्र सिंह ने किया।

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2018-20
Posting at New Delhi PSO on 7–8 and 22–23 of every month, Fortnightly, Date of Publication : June 5, 2018

बैंकों में 2 दिवसीय हड़ताल

एआईबीईयूएफ का बयान

वेतन समझौता जल्दी करने और आईबीए की ओर से दिये गए 2% वेतन वृद्धि के प्रस्ताव को खारिज करने की मांग को लेकर 30 मई से 31 मई को 2 दिन की अखिल भारतीय बैंक हड़ताल की कॉल जो यूएफबीयू द्वारा दी गई है, उस पर ऑल इंडिया बैंक कर्मचारी यूनिटी फोरम (एआईबीईयूएफ) के महासचिव जे. रायमण्डल ने निम्नलिखित बयान जारी किया :

2 दिनों की हड़ताल के आह्वान का समर्थन करते हुए हम रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज कराना चाहते हैं कि पिछले वेतन के मामले निपटाने में एआईबीईए के नेतृत्व में और बाद में यूएफबीयू के नेतृत्व में स्थापित यूनियनों ने पूरी तरह एडोकीज्म का सहारा लिया है(यानी, वेतन वृद्धि के मामले में प्रतिशत वृद्धि, जैसे 10%, 12%, 15% आदि वेतन वृद्धि)। इन्होंने वेतन के निर्धारण के लिए कभी भी वैज्ञानिक आधार नहीं बनाया। हम लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं कि वेतन निर्धारण के मामले में एडोकीज्म को अलविदा कह दिया जाना चाहिए। इसके बजाय, एक वैज्ञानिक आधार अपनाया जाना चाहिए। उसके लिए, हम 15 वें भारतीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) द्वारा 1957 में दी गई सिफारिशों का अनुसरण कर सकते हैं। इसने 3 तरह के वेतनों की सिफारिश की थी – असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए जरूरत-आधारित न्यूनतम वेतन, सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए उचित वेतन और आने वाले वर्षों में सब के लिए सभ्य जीवन यापन के लिए जिन्दा रहने लायक वेतन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आज केंद्र सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को बैंकों के अधिकारियों से बहुत अधिक वेतन मिलता है। कमोबेश, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जिन्दा रहने लायक वेतन सुनिश्चित कर दिया गया है। तदनुसार बैंकिंग उद्योग में श्रमिकों और अधिकारियों के लिए क्रमशः उचित और जिन्दा रहने लायक वेतन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि जरूरत-आधारित न्यूनतम वेतन की मात्रा 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा तय कर दी गई है। इसके आधार पर भारतीय श्रम सम्मेलन की समग्र सिफारिशों को देखते हुए उचित मजदूरी और जिन्दा रहने लायक मजदूरी की मात्रा तय की जा सकती है।

आईबीए को सौंपे गए हमारे मांग पत्र में, हमने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए उचित वेतन की राशि क्रमशः रुपये 39600/- और रुपये 34350/- निर्धारित की है। हम ठेकाकरण, आउटसोर्सिंग, कर्मचारियों के आकार घटाने आदि की ओर ले जाने वाले पूर्ववर्ती समझौतों के काले प्रावधानों को रद्द करने की भी मांग करते हैं। हम आईडीबीआई बैंक में वेतन सम्बंधी मामला तत्काल निपटान की भी मांग करते हैं जो लंबे समय से लंबित पड़ा है, विशेष रूप से जब अगले वेतन समझौते के लिए मांग पत्र पर बातचीत बैंकिंग उद्योग में चल रही है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जिन्ना की तस्वीर पर बावेला

फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एफटीआईआई), हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी (एचसीयू), जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के बाद, अब हिंदुत्व कार्यकर्ताओं के हाथो सताये जाने की अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) की बारी है ।

समस्या तब शुरू हुई जब 'आरएसएस कार्यकर्ता' अमीर रशीद ने एएमयू के परिसर में आरएसएस शाखा लगाने की अनुमति मांगी और विश्वविद्यालय ने अनुमति से इनकार कर दिया क्योंकि यह किसी भी संगठन द्वारा शिविर या शाखा लगाये जाने की इजाजत देने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है। 30 अप्रैल 2018 को इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया करते हुए, अलीगढ़ के बीजेपी सांसद श्री सतीश गौतम ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से यह बताने के लिए कहा था कि यह मुहम्मद अली जिन्ना के चित्र को क्यों प्रदर्शित करता है, जिससे वहां बावेला मच गया। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि 1920 में मुहम्मद अली जिन्ना विश्वविद्यालय कोर्ट के संस्थापक सदस्य और दानदाता भी थे। उन्हें 1938 में एएमयूएसयू (अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ) की आजीवन सदस्यता दी गई थी। परंपरागत रूप से, सभी आजीवन सदस्यों की तस्वीरें छात्र संघ की दीवारों पर लगाई जाती हैं। इसलिए जिन्ना का चित्र दशकों से जाने-माने लोगों की लंबी सूची के साथ वहां लटक रहा था और स्वतंत्रता के बाद भी किसी भी राष्ट्रीय नेता ने तस्वीर पर कोई आपत्ति नहीं उठाई थी। इसके अलावा, श्री सतीश गौतम 2014 और 2017 के बीच विश्वविद्यालय कोर्ट के सदस्य रहे थे और उन्होंने उस चित्र के बारे में कोई सवाल नहीं उठाया था। वैसे भी 2 मई 2018 को बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ''किसी को एएमयू को सबक सिखाने की जरूरत है। यह कौन करेगा?'' इसी शीर्षक के साथ एक लेख के लिंक के साथ ट्वीट किया था।

फासीवादी गुंडों ने पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के कार्यक्रम को निशाना बनाया। 2 मई 2018 को श्री अंसारी एएमयूएसयू के निमंत्रण पर एएमयू के दौरे पर आने वाले थे और उन्हें आजीवन सदस्यता प्रदान की जानी थी। अगले दिन 3 मई 2018 को अंसारी जी को विश्वविद्यालय के केनेडी हॉल में बहुलवाद (प्लूरिज्म) पर व्याख्यान देना था और शाम को एएमयूएसयू द्वारा आयोजित रात्रिभोज में भाग लेना था। उनके कार्यक्रम को प्रोटोकॉल के अनुसार अंसारीजी के कार्यालय द्वारा अग्रिम में अलीगढ़ प्रशासन को बता दिया गया था। अंसारी जी निर्धारित समय पर यानी दोपहर बाद 1 बजे 2 मई को विश्वविद्यालय पहुंचे और एएमयू गेस्ट हाउस में उन्हें ठहराया गया, जो विश्वविद्यालय के बाब-ए-सैयद गेट के पास है। थोड़ी देर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्थापित और संरक्षित एक संगठन 'हिंदू युवा वाहिनी' के प्रति निष्ठा रखने वाले लोगों के एक समूह द्वारा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ब्लॉक के पास हुड़दंग शुरू कर दिया गया। इस अपमानजनक गतिविधि से संघ परिवार 'एक तीर से दो शिकार' करना चाहता था। जिन्ना की तस्वीर का मुद्दा सिर्फ एक बहाना था। एक तरफ, उन्होंने प्रासंगिक मुद्दों से आम लोगों, विशेष रूप से छात्रों का ध्यान दूसरी ओर फेरने और दूसरी तरफ, कर्नाटक चुनाव से चुनावी लाभ प्राप्त करने की कोशिश की।

एएमयू स्टूडेंट्स यूनियन ने उत्तेजनात्मक नारेबाजी की निंदा करते हुए एक विरोध जुलूस निकाला और शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। छात्रों को यूपी पुलिस ने बुरी तरह पीटा और अधिकांश छात्र नेताओं को तो इतना पीटा गया कि उनका कचूमर निकल गया, उन्हें लहूलुहान कर डाला गया और बेहोश कर दिया गया। फिर भी सभी प्रतिकूलताओं, विशेकर पुलिस क्रूरता और संघ परिवार के हमले का बहादुरी के साथ मुकाबला करते हुए विश्वविद्यालय की स्वायत्तता की रक्षा करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों और संघर्षरत छात्रों ने अपना आंदोलन जारी रखा। ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन (एआईडीएसओ) ने एएमयू के जायज छात्र आंदोलन के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की और छात्रों, शिक्षाविदों और लोकतांत्रिक विचारधारा वाले लोगों को एएमयू के पक्ष में उठ खड़े होने और सांप्रदायिक आधार पर छात्रों और शिक्षकों में फूट डालने के शासक वर्ग के घिनौने प्रयासों को नाकाम करने की अपील की।

यहां तक कि पूर्व उपराष्ट्रपति जनाब मोहम्मद हामिद अंसारी ने अपनी चुप्पी तोड़ने के बाद अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एएमयू छात्रों की मांग का समर्थन किया जिन्होंने 2 मई को जिन्ना की तस्वीर के मुद्दे पर विश्वविद्यालय परिसर में बकवास की थी, जब वे वहां एक कार्यक्रम के लिए उपस्थित थे और उन्होंने कहा था कि 'अतिक्रमण' के खिलाफ चलाया गया शांतिपूर्ण आन्दोलन सराहनीय है।

यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर अमेरिका द्वारा मान्यता दिये जाने की एआईएआईएफ ने की निंदा

ऑल इण्डिया एंटी-इम्पीरिलिस्ट फोरम के उपाध्यक्ष कॉमरेड माणिक मुखर्जी ने 15 मई, 2018 को निम्नलिखित बयान जारी किया :

तमाम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए अमेरिकी दूतावास यरूशलेम में स्थानांतरित किये जाने की ऑल इण्डिया एंटी-इम्पीरिलिस्ट फोरम तीव्र निन्दा करता है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा यरूशलेम को इसराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देने की जो घोषणा की गई थी, यह घटना उसी पर मुहर लगाती है। राष्ट्रसंघ ने 1948 के प्रस्ताव में स्पष्ट शब्दों में यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय स्थान के रूप में मान्यता दी थी। ट्रम्प की वह पूर्वघोषणा को ज्यादातर राष्ट्रों की आलोचना का सामना करना पड़ा था और राष्ट्रसंघ की आम सभा में भारी समर्थन से अमेरिका के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव पारित हुआ था। सुरक्षा परिषद में इस निन्दा प्रस्ताव पर 14 से 1 वोट के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विटो किया गया था।

यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। जले पर नमक छिड़कने के लिए यह कुकृत्य जिस दिन को फिलिस्तीनी लोग 'Naqba' (तबाही) की 70वीं वर्षगांठ के रूप में मनाते हैं, उससे पहले वाले दिन किया गया, जब लाखों फिलिस्तीनियों को 1948 में इस्राइल के राज्य के हिंसक जन्म के दौरान अपने घरों से बाहर निकाल दिया गया था जो फिलिस्तीन के प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ता था। 1947 के राष्ट्रसंघ के प्रस्ताव ने स्पष्ट रूप से यरूशलेम को एक अंतरराष्ट्रीय दर्जा दिया था। ट्रम्प की पूर्व घोषणा की अधिकांश राष्ट्रों ने आलोचना की थी और एक प्रस्ताव में निंदा की गई थी। उस निंदा प्रस्ताव को सुरक्षा परिषद में अमेरिका ने वीटो करके रोक दिया।

1948 में इस्राइल की पैदाइश अरब देशों के साथ युद्ध द्वारा चिह्नित हुआ था। इसके माध्यम से इस्राइल ने अवैध रूप से पश्चिम यरूशलेम को अपने अन्दर मिला लिया था। सन् 1967 के युद्ध के बाद इस्राइल ने पूर्वी यरूशलेम पर भी कब्जा कर लिया और 1980 में अंतरराष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए तथाकथित 'एकीकृत और पूरे' यरूशलेम को अपनी राजधानी होने की घोषणा की। लेकिन अधिकांश राष्ट्रों ने ही यरूशलेम पर इस्राइल की सार्वभौमिकता को मान्यता नहीं दी और इस तरह अंतरराष्ट्रीय कायदे-कानूनों का उल्लंघन करने के लिए इस्राइल की निन्दा करते हुए राष्ट्रसंघ में अनगिनत प्रस्ताव पारित हुए। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य साम्राज्यवादी ताकतों की शह प्राप्त इस्राइल ने उन सबकी अनदेखी की। राष्ट्रपति ट्रम्प की हाल ही की घोषणा ने यरूशलेम के अनिवार्य अंतरराष्ट्रीय दर्जे को मान्यता और इस्राइल-फिलिस्तीन झगड़े को बातचीत के जरिये निपटाने में अड़चन पैदा कर दी है। वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनियों ने अमेरिका की इस कुचेष्टा के खिलाफ अपना रोष जताया। इसके जवाब में इस्राइल ने युद्धपोतों, टैंकों और बंदूकों से प्रदर्शनकारियों पर क्रूरता से हमला किया। एक दिन में ही गाजापट्टी की सीमा में 55 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों घायल हो गए लेकिन इससे हतोत्साहित न होकर अपने हकों को बचाने की लड़ाई में फिलीस्तीनी लोग सपरिवार शामिल हुए।

ऑल इण्डिया एंटी-इम्पीरिलिस्ट फोरम न्यायसंगत मांगों पर संघर्षरत फिलीस्तीनी लोगों के प्रति एकजुटता का इजहार करता है तथा महिलाओं और बच्चों सहित संघर्षरत फिलिस्तीनियों पर इस्राइल के बर्बर आक्रमण की तीव्र निन्दा करता है। फिलीस्तीनी लोगों पर संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों की शह पाकर इस्राइली हमलों का प्रतिवाद करने का दुनिया के सभी स्वतंत्रता प्रेमी लोगों से हम आह्वान करते हैं। यरूशलेम को इस्राइल की राजधानी के रूप में मानना हरगिज नहीं चलेगा।

24 अप्रैल – एसयूसीआई (सी) पार्टी स्थापना दिवस पर जनसभाएं

पटियाला : 29 अप्रैल को एसयूसीआई (सी) के 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर यहां पर्वत-परवाना ट्रेड यूनियन केंद्र में जनसभा आयोजित की गई। पार्टी के पंजाब राज्य प्रभारी कॉमरेड अमिन्दरपाल सिंह ने सभा की अध्यक्षता की। सभा के मुख्य वक्ता पार्टी के म.प्र. राज्य सचिव कॉमरेड प्रताप सामल ने पार्टी के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला और पार्टी को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

दुर्ग (छ.ग.) : एसयूसीआई(सी) के स्थापना दिवस पर 29 अप्रैल को छ.ग. इकाई द्वारा यहां कैलाश नगर में जनसभा की गई। सभा के मुख्य वक्ता पार्टी के उड़ीसा राज्य सचिव कॉमरेड धुर्जटी दास थे।

पटियाला : जनसभा को संबोधित करते हुए अमिंदरपाल सिंह

कटक : एसयूसीआई(सी) पार्टी के स्थापना दिवस पर स्थानीय शहीद भवन में एसयूसीआई (सी) की ओर से जनसभा की गई। सभा के मुख्य वक्ता पार्टी के केन्द्रीय कमेटी सदस्य सह पश्चिम बंगाल राज्य सचिव कॉमरेड सौमेन बसु थे।

Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Balaji Offset Printers, 315/21, Shahzada Bagh, Daya Basti, Delhi and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005. Editor: Com. Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C)."

Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com , sarvaharadrishtikon@yahoo.com फोन नं. : 011-25726631, 9868350503